सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा 17 जुलाई, 2019 ई0
------------ बुधवार, तिथि---------------
त्रयोदश 26 आषाढ़ 1941 (शक)

(कार्यवाही प्राम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप तो कल थे नहीं । माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कल विस्तार से जवाब दिया था ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोग अपने-अपने क्षेत्र में थे ।

अध्यक्ष : कल मुख्यमंत्री जी ने सारे जिलों का हवाला देते हुये जो बाढ़ की अद्यतन स्थिति है, सरकार जो-जो प्रयास कर रही है, उसका विस्तार से विवरण अपने वक्तव्य में दिया था । अभी फिर उस मामले को क्यों उठा रहे हैं ? श्री समीर कुमार महासेठ । माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या : 4 (श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । भू-जल स्तर में गिरावट आयी है लेकिन पेरेनियल नदियां पूरी तरह से सूखी नहीं है । सालोभर इसमें पानी रहता है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 2010 से 11 एवं 2018 से 19 तक पूरे राज्य में 654 सरकारी आहर, पईन, तालाब, बीयर, चेकडैम का जीर्णोद्धार तथा निर्माण कराया गया है, जिससे भू-जल में रीचार्ज होता है ।

3. भू-जल स्तर को मेंटेन रखने के लिये विभाग द्वारा 2019-20 में पूरे राज्य में 202 आहर, पईन, तालाब, बीयर, चेक डैम का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें 147 योजनायें पूर्ण हो गयी हैं । रेन

वाटर हार्वेस्टिंग योजना भी विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यान्वित कराने का विभाग का प्रस्ताव है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, जब 142 निकायों में सरकार ने एक पैसा दिया ही नहीं है तो कहां से पोखरा की सफाई और उड़ाही हो गयी ? महोदय, 13 तारीख को बहुत सारी बातें एवं विमर्श हुये हैं और कार्रवाई क्या होगी, यह भी पता चलेगा । महोदय, मैं केवल खंड 2 का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि भू-जल को नियंत्रित करनेवाले उपाय कौन-कौन से हैं, विगत 10 वर्षों से उस दिशा में कौन-कौन सी कार्रवाई की गयी और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के खंड-ख के जवाब में कहा कि लघु जल संसाधन विभाग के पास 4,055 आहर, पईन हैं बिहार में । महोदय, हमने 2010-11 से 2018-19 तक पूरे राज्य में 654 सरकारी आहर, पईन, तालाब, बीयर, चेकडैम का जीर्णोद्धार कराया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 202 योजनाओं पर काम चल रह है केवल स्लूईस गेट को छोड़ करके जो आहर, पईन हैं, उसका 90 प्रतिशत काम हो चुका है ।

महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पूर्व में कितनी राशि खर्च हुई है तो चलते सत्र में ही इसकी जानकारी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर जी, आप सभी अवगत हैं, इस विषय पर पिछली 13 तारीख को हम सभी लोगों ने मिल कर व्यापक विचार-विमर्श किया था । आप का जो प्रश्न है कि भू-जल रीचार्ज या फिर भू-जल स्तर को मेंटेन रखने के लिये, इन दोनों के संबंध में आपके सुझाव और सारे माननीय सदस्यों के सुझाव लिये गये हैं । उसी बैठक में यह घोषणा भी की गयी है कि एक महीना के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना सरकार बनाकर उसको लागू करेगी । तो यह घोषित है ।

श्री फराज फातमी : महोदय, जो सवाल है, इसमें मधुबनी का नाम भी अंकित है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने खुद कहा कि जितने भी स्लूईस गेट हैं, इसकी जानकारी नहीं है तो माननीय मंत्री जी कम से कम इतना बताने का कष्ट करेंगे कि कितने स्लूईस गेट बनेंगे और वे कब तक बनेंगे ?

अध्यक्ष : वह सब सूचना आप दे दीजिये माननीय मंत्री जी देख लेंगे ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी । माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या : 18 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

3, उक्त संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे पंचायत को उपलब्ध करायी जा रही है । उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 465 के द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान बेसिक ग्रांट का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित मूलभूत सेवाओं में से सड़कों पर रोशनी, स्ट्रीट लाईट लगाये जाने हेतु हेतु दिशा-निर्देश में संसूचित है । भारत सरकार का एक उपक्रम ESSL, एनर्जी सर्विस लिमिटेड है । इसके ग्राम पंचायतों में LED लाईट लगाये जाने के संबंध में प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है । इसकी फिजिब्लिटी का अध्ययन कर पंचायतों में LED लाईट लगाने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, एन0डी0ए0 की सरकार में ग्रामों की तस्वीर बदली है और जिस तरह शहर और गांवों में भी बिजली घर-घर पहुंच गयी है और शहर जगमग हुआ है नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा और अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि LED लाईट लगाने का सरकार विचार रखती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री तो बताये कि योजना पर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि ग्रामों की तस्वीर बदल रही है, बिजली हमलोग घर-घर पहुंचाये हैं इस सरकार में इसलिए गांवों में रोशनी हो उसमें माननीय मंत्री जी से अपेक्षा भी है बिहार को, आप पंचायत भवन बना रहे हैं, ग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, हर पोल पर अगर बिजली की सुविधा LED लाईट से हो जाये तो मुझे लगता है कि गांवों की तस्वीर और भी सुंदर हो जायेगी । मंत्री जी ने कहा है कि यह प्रस्तावित है लेकिन मेरा पूरक प्रश्न है कि यह कब तक होगा ?

अध्यक्ष : ठीक है । वह तो पंचायत स्तर की बात है ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । प्रश्न संख्या 239,श्रीमती पूनम देवी यादव । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या : 239(श्रीमती पूनम देवी यादव)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मानसी अंचल कार्यालय चकहुसैनी पंचायत में पड़ता है और कार्यालय चकहुसैनी पंचायत के सामुदायिक भवन में कार्यरत है । अंचल कार्यालय भवन, मानसी के निर्माण हेतु मानसी अंचल के मौजा सैदपुर थाना नंबर 281, तौजी नंबर-1447, खाता नंबर-239, खेसरा नंबर-469, 1476 रकबा- 3.95 एकड़, किस्म गैर-मजरूआ आम जमीन चिन्हित किया गया है । वर्तमान में उक्त भूमि की जमाबंदी रैय्यती, रैय्यत संदीप कुमार के नाम से चल रही है, जिसे रद्दीकरण हेतु अंचलाधिकारी, मानसी से प्रस्ताव अपर समाहर्त्ता न्यायालय, खगड़िया में प्राप्त हुआ है ।

उक्त न्यायालय द्वारा जमाबंदी के रद्दीकरण हेतु वाद संख्या-51/2019 दायर किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है । भूमि उपलब्ध होने पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया अंचल का कार्यालय भवन, कर्मचारी के भवन के लिये जमीन नहीं है । इन्होंने एक जमीन जो मानसी थानान्तर्गत कार्यालय भवन के लिये चकहुसैनी पंचायत में चिन्हित किया है, जिसका खाता, खेसरा नंबर माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि 19 वर्ष हो गये और 19 वर्षों से प्रखंड सह अंचल भवन का कार्यालय नहीं बना है जबकि प्रखंड का दर्जा वर्ष 1994 में ही मिला था ।

क्रमश :

टर्न-2/अंजनी/17.07.19

श्रीमती पूनम देवी यादव : क्रमशः ... 19 साल होने के बाद भी आजतक वहां कर्मचारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठ नहीं पाते हैं, आये दिन वहां....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : पूरक मेरा यही है कि जो जमीन अधिग्रहण किया गया है सरकार के तरफ से, हम जानना चाहते हैं कि संदीप कुमार के नाम से जो जमाबंदी कायम है, उस जमाबंदी को रद्द करने के लिए किस दिन इनके विभाग ने पत्र भेजा है, यह हम जानना चाहते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय को सरकार निर्देशित नहीं कर सकती है लेकिन अंचलाधिकारी, मानसी के पत्रांक 1362 दिनांक 19.09.2018 द्वारा अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या-54/2017-18 भेजा गया है, जो अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या 51/2019 के रूप में चल रहा है और जब जमीन उपलब्ध हो जायेगा, रद्दीकरण का कार्य हो जायेगा जमाबंदी तो शीघ्रातिशिघ्र इसपर कार्रवाई सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : अपर समाहर्त्ता के कार्यालय में है, उनको तो आप शीघ्र निस्तारण के लिए निदेश दे ही सकते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उनके न्यायालय में है महोदय ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में लंबित है । हमारा प्रश्न जब-जब आता है, तब-तब जमीन अधिग्रहण किया जाता है । आज से 19 साल से जमीन का ही अधिग्रहण हो रहा है। जब-जब प्रश्न साल में एक बार डालते हैं, जब-जब सत्र चालू होता है तब हमने इस विषय पर प्रश्न डाला है लेकिन आजतक जमीन का अधिग्रहण जो जमाबंदी जिसके नाम से कायम है, जो सरकारी जमीन की जमाबंदी जिस अंचलाधिकारी ने उसके नाम पर कर दिया है, उनपर आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंनें स्पष्ट उत्तर दिया है माननीय सदस्या को, फिर भी माननीय सदस्या संतुष्ट नहीं हो रही है । मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जैसे ही न्यायालय द्वारा रद्दीकरण की कार्रवाई की जायेगी, संबंधित जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे, उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि जो संदीप कुमार के नाम से सरकारी जमीन को जिन अंचलाधिकारी ने वर्त्तमान में उनके नाम से सरकारी जमीन को जमाबंदी कायम कर दिया है, उस अंचलाधिकारी पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो बताया ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : वे कह रहे हैं कि जमाबंदी रद्द करके भवन बनाया जायेगा ।

अध्यक्ष : वही बताये हैं कि एक बार जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद उसके लिए जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं, एक अंचलाधिकारी हों, दो हों, कोई कर्मचारी हो, सबों पर सरकार कार्रवाई करेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-685(श्री रवीन्द्र सिंह)

अध्यक्ष : यह नगर विकास विभाग को स्थानांतरित है । यह नगर विकास विभाग में चला गया है।

तारांकित प्रश्न सं0-1339(डॉ फैयाज अहमद)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.66 किलोमीटर है जो पूरक राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

डॉ0 फैयाज अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इसकी समय-सीमा निर्धारित कर दें। इसको इसी वित्तीय वर्ष में करा दें ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, इसको हम देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1340(श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पूरक राज्य कोर नेटवर्क में एम0आर0 रोड तुरकौलिया-अम्बा पथ से माधोपुर शेख टोली के नाम से सम्मिलित है, जिसकी लम्बाई 1.09 किलोमीटर है । पथ का डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि विभाग के द्वारा गलत सूचना माननीय मंत्री जी को प्राप्त है । वह रोड बना ही नहीं है तो फिर एम0आर0 का डी0पी0आर0 कैसे तैयार हो रहा है, यह हम जानना चाहेंगे और दूसरी बात अगर गलत रिपोर्ट विभाग के पदाधिकारी ने दिया है और सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है तो माननीय मंत्री जी, उसकी जांच कराकर उनपर कौन-सा कार्रवाई करना चाहते हैं ? यह रोड अभी बना नहीं और एम0आर0 में डी0पी0आर0 तैयार हो रहा है । महोदय, वह कच्ची सड़क है और काफी घनी बस्ती है और अभीतक रोड बना नहीं है और एम0आर0 के डी0पी0आर0 का आपके पास सूचना देने का काम किया ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हम इसकी जांच करा लेंगे जैसाकि माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन इसका डी0पी0आर0 बना दिये हैं, इसको हम शीघ्र करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1341(श्री शम्भू नाथ यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दो पथों से संबंधित है । नम्बर 1. बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड के गंगोली पंचायत में गंगोली बांध से खरहाट टांड़ तक पथ, उस पथ की लम्बाई 2.52 किलोमीटर है, यह पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित है एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत इसकी मरम्मती हेतु प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया में है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी । नम्बर 2> खरहाट टांर के पी0डब्लू0डी0 रोड सोन मील तक पथ, उस पथ की लम्बाई 0948 किलोमीटर है । यह पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित है एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत इसकी मरम्मती हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, बहुत लम्बा समय से प्राक्कलन तैयार हो रहा है । थोड़ा-सा समय तय करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको जल्दी से देखवा लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1342(श्री सरोज यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभाग के द्वारा कराये जा रहे सभी योजना का कार्यान्वयन का त्रिस्तरीय क्वालिटी कंट्रोल का प्रावधान है । प्रथम स्तर पर कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा गुणवत्ता की जांच प्राक्कलन में किये गये प्रावधानों के अनुरूप की जाती है । क्षेत्र प्रयोगशाला जो गुणवत्ता प्रबंधन की इकाई है क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट प्राप्त यदि कराये गये कार्यों के विरूद्ध भुगतान किया जाता है । राज्य प्रायोजित योजनाओं में एस0क्यू0एम0, पी0क्यू0अम0 इन्डीपेंडेंट इंजीनियर के द्वारा समय-समय पर प्राक्कलन के अनुरूप कार्यान्वयन की जांच की जाती है । केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में इसके अतिरिक्त एस0क्यू0एम0 के द्वारा भी जांच की जाती है । इसके अतिरिक्त प्राप्त शिकायतों पर भी विभागीय गुणवत्ता प्रबंधन इकाई के अधीक्षण अभियंता के द्वारा जांच की जाती है, साथ ही विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के द्वारा जांच की जाती है । प्रश्न में उल्लेखित विषय के आलोक में पुन: संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा के बड़हरा विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पथों

की जांच हेतु मुख्य अभियंता-1 के पत्रांक 2689 दिनांक 13.07.2019 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो भी रोड बनता है, सारा रोड तीन से चार माह के अन्दर में ही टूट जाता है या गिट्टी दिखायी देने लगता है । अध्यक्ष महोदय, रोड है- आरा-सरैया मेन रोड से तेतरिया होते हुए करारी तक, दूसरा रोड है-आरा-पटना मुख्य मार्ग से विरमपुर होते हुए लोंग बाबा के मठिया तक और तीसरा महुली-धोवाहा मेन रोड से कनारी सामुदायिक भवन तक । अध्यक्ष महोदय, यह तीनों रोड की स्थिति ऐसी है कि निर्माण के तीन माह के बाद ही रोड पर गिट्टी दिखायी दे रहा है और आधा रोड टूट भी गया है । महोदय, तो किस तरह से कनीय अभियंता, कार्यपालक अभियंता या अधीक्षण अभियंता रोड को देखते हैं, यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। ये लोग ऑफिस में बैठकर संवेदक के पक्ष में सारा काम करने का काम करते हैं ।

टर्न-3/राजेश/17.7.19

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, यह बिल्कुल गलत आरोप है, अगर प्रश्न में माननीय सदस्य लिख देते रोड का नाम, तो उसका भी हम जवाब दे देते ।

अध्यक्ष: इनसे आप रोड का नाम ले लीजिये और उसको दिखवा लीजिये ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो हम इनके साथ टीम को भेज देते हैं, जांच कर लेंगे इनके सामने ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1343 (श्री विनय बिहारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी आपका उत्तर दिया हुआ है, आपने पढ़ा है ।

श्री विनय बिहारी: नहीं सर ।

अध्यक्ष: आपके प्रश्न का उत्तर विभाग द्वारा 16 जुलाई को 3 बजकर 44 मिनट पर दिन में विधान सभा के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है । अगर आप पढ़ कर आते, तो समय बचता ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, वर्तमान में नये पथों के अधिग्रहण पर अभी विराम लगाया गया है, जो पुराना पथ अधिग्रहण नीति है हमारा, उसकी समीक्षा करके नया पथ अधिग्रहण की नयी नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न में बताया है, यह दो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है और यह एन0एच0-28 बी और एम0डी0आर0 पथ को जोड़ती है यह सड़क और सबसे बड़ी बात है कि सड़क के मामले में इतना विकास हो रहा है लेकिन हमारे योगापट्टी प्रखंड में 20 पंचायत है और एक भी पी0डब्लू0डी0 का पथ नहीं है, तो हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि हमारे योगापट्टी ब्लॉक में 20 पंचायत में एक भी पी0डब्लू0डी0 का पथ नहीं है और यह मात्र 10, 15 किलोमीटर की सड़क है, तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि प्रॉयरिटी पर इसको अधिग्रहण कर लिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1344 (श्री फैसल रहमान)

(मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1345 (श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 0.87 किलोमीटर है, जिसपर अवस्थित बसावट शाहटोला की आबादी 500 एवं मुशहरटोला की आबादी 300 है । इस पथ को पूरक राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । महोदय, इसको कर लिये हैं, आगे इसको करवा देंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1346 (श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: प्रश्नाधीन पुल स्तर पर एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कब तक तैयार किया जायेगा, क्योंकि यह मामला दो साल से पड़ा हुआ है, इससे 20 पंचायतों का आवागमन बाधित हो गया है, सुन रहे हैं कि अब टेंडर होने वाला है, प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, तो कब तक, इसका कोई समय सीमा है, माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: इसी वित्तीय वर्ष में इसको करवा देंगे महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1347 (श्री (मो0) तौसिफ आलम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की निविदा बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत आमंत्रित किया जा चुका है ।

निविदा निष्पादन के उपरांत प्रश्नाधीन पथ का मरम्मत कार्य कराना संभव हो सकेगा।

श्री (मो0) तौसिफ आलमः महोदय, शुक्रिया । लेकिन यह रोड जर्जर स्थिति में नहीं बल्कि गड्डे में तब्दील हो चुका है । इस रोड की लंबाई लगभग 39 किलोमीटर है लेकिन अभी फिर हाल हमारे विधान सभा क्षेत्र में यह रोड जहॉ तक पड़ता है, वहॉ तक का ही क्वेशचन किये हैं, उससे आगे सिंगीमारी, लक्ष्मीपुर उसके बाद उधर से हरवाडांगा तक मिला हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि पूरा रोड को ले लिया जाता, तो बहुत अच्छा होता ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, निविदा बिल्कुल निकल चुका है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1348 (श्री उपेन्द्र पासवान)

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन संदर्भित पथ पत्र द्वारा 5 पुलों का चेक लिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थिति निम्नवत है:

1. बखरी प्रखंड के रातन पंचायत के ब्रह्मदेव नगर एवं निशिहारा को दो अलग-अजग एम0एम0जी0एस0वाई0 पथ से एकल संपर्कता प्रदत्त है । संदर्भित दोनों बसावट के बीच पुल विभागीय आरेखन में नहीं है ।

2. बखरी प्रखंड के शंकरपुरा बसावट को एम0एम0जी0एस0वाई0 से संपर्कता प्राप्त है । बैरवा बसावट को संपर्कता हेतु इसे पूरक कोरनेट वर्क में सम्मिलित कर लिया गया है । संदर्भित दोनों बसावट के बीच पुल स्तर विभागीय पथ आरेखन में नहीं है ।

3. गढ़पुरा प्रखंड के मालीपुर पंचायत के सिमराहा को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं चन्द्रभागा नदी के दूसरी तरफ समस्तीपुर जिला के अधीन कोई योग्य बसावट नहीं है । संदर्भित पुल स्तर विभागीय पथ के आरेखन पर नहीं है ।

4. संदर्भित पुल स्तर गढ़पुरा प्रखंड के रजौर पंचायत के बलुआहाटोल में भुसवा के नजदीक पी0एम0जी0एस0वाई0 अर्न्तगत टी0-टू0 से बलुआपथ के आरेखन पर अवस्थित है ।

5. संदर्भित पुल स्तर गढ़पुरा प्रखंड के पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत भंसी से कुमरो पथ अवस्थित है । उपरोक्त क्रम संख्या-4 एवं 5 में वर्णित पुल स्तर पर पुल निर्माण हेतु तकनीकि समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री उपेन्द्र पासवानः अध्यक्ष महोदय, शंकरपुरा और बैरवा पुल शंकरपुरा के उस पार महादलित टोला है और महादलित टोला के लोगों को इस पार आने का कोई साधन नहीं है । वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पथ में आने के बाद पुनः 5 किलोमीटर सामने आयेंगे तो उसके बाद ही वे अपना दैनिक कार्य कर पायेंगे । इसलिए ऐसी परिस्थिति में इस सावन-भादो के समय बॉस का चतरी बनाकर लोग इस पार और उस पार पार होते हैं और यदि उसपर समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है ....(व्यवधान)

अध्यक्षः आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री उपेन्द्र पासवानः महोदय, दूसरा पुल जो राटन का पुल है, वहाँ के बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, उस पार ही जा करके और उस पुल के जगह कई बार अप्रिय घटना घट चुकी है, दो, तीन आदमी वहाँ पर डूबकर मर चुके हैं सावन-भादो में, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर भी पुल बनना अतिआवश्यक है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि कब तक इन दोनों पुलों का निर्माण करा देंगे ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, हमने बताया कि जो गढ़पुरा प्रखंड के रजोर पंचायत के बलुआहाटोल में जो है, वह पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बलुआ पथ भुसवा के नजदीक पी0एम0जी0एस0वाई0 से उसको संपर्कता प्राप्त है । दूसरी बात यह है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि राटन पंचायत के ब्रह्मदेव नगर एवं निशिहारा को दो अलग-अलग एम0एम0जी0एस0वाई0 अर्न्तगत संपर्कता प्राप्त है और ये जिस पुल की चर्चा कर रहे हैं वह विभागीय आरेखन पर नहीं है महोदय ।

श्री उपेन्द्र पासवानः महोदय, पूर्व के राज्यकोर नेटवर्क पर ये सारे पुल अवस्थित है, सब का कमांक अलग-अलग दिया हुआ है और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ही यह कोर नेटवर्क तैयार किया गया है और उसके कमांक पर पुल अवस्थित है, तो ये किस परिस्थिति में कह रहे हैं कि यह पुल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग के रोड पर ही है, यही ये कह रहे हैं ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः नहीं महोदय । जो रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें तो नहीं है ।

अध्यक्षः आप इसको दिखवा लीजियेगा ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः ठीक है महोदय ।

श्री उपेन्द्र पासवानः माननीय मंत्री महोदय, आपने जो किताब तैयार किया है, पूर्व में जो कोर नेटवर्क तैयार है, रोडमैप तैयार है, उसी रोडमैप में जो आपके छूटे हुए पुल-पुलिया हैं, उसकी सूची उपलब्ध है । आपके पास भी किताब उपलब्ध होगा, मझौल-बखरी

का जो किताब उपलब्ध है, उसके पृष्ठ संख्या-14 पर यह अवस्थित है, इसको जरा आप दिखवा लीजिये कि यह आपका है या नहीं है या किसी दूसरे पथ का है।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप इसको दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1349 (डा0 रामानन्द यादव)

श्री नंदकिशोर यादव,मंत्री : इस पथ में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष: उत्तर आपका दिया हुआ है रामानन्द जी,कल ही अपलोड हुआ है 4.00 अजे अप0 में।

श्री रामानन्द यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर को मैंने पढ़ लिया हूॅं । उत्तर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी को ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/17-7-19

तारांकित प्रश्न संख्या- 1350, श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता

अध्यक्ष: आपका भी उत्तर आया हुआ है ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री: वर्ष 2020 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर को देखा है..

अध्यक्ष: उत्तर देखा है आपने ?

श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता: जी, हां देखा है ।

अध्यक्ष: तो धन्यवाद दे दीजिये ।

श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता: धन्यवाद बाद में देंगे, पहले हमारी जो समस्या है उसको सुन लें ।

अध्यक्ष: बोलिये ।

श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में अनेक बैठकें सांसद महोदय के द्वारा डी0एम0/एस0पी0 और सड़क संबंधी उच्च पदाधिकारी के साथ समय समय पर हुआ है लेकिन अभी तक उसे पूर्ण नहीं किया गया है । इसका क्या कारण है, जिसके वजह से यह कार्य अभी तक नहीं हुआ है । जहां तक हमारी जानकारी है, अतिक्रमण और ननपेमेंट की वजह से यह काम रूका हुआ है, इसमें शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को कराने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष: गुप्ता जी, मंत्री जी ने तो कहा है कि 2020 तक इस कार्य को पूरा करा लेंगे, अगर इस संबंध में कोई सूचना देनी हो तो अलग से दे दीजियेगा ।

श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता: धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1351(श्री (मो0)नवाज आलम

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर के आरा प्रखंड अन्तर्गत लक्ष्मणपुर गांव को राज्य योजना के जमीरा पथ से एकल सम्पर्कता प्रदान की गयी है । कुम्हरी नदी पर पुल राज्य योजनान्तर्गत निर्मित है । लक्ष्मणपुर गांव एवं कुम्हरी नदी पर बने पुल का योग्य बसावट के अहर्त्ता की जांच की जा रही है । तदुनसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री (मो0) नवाज आलम: अध्यक्ष महोदय, ये लगभग 2 साल पहले यह पुल बन कर के तैयार हुआ लगभग 4 करोड़ की लागत से और सरकार भी चाहती है, सरकार का पैसा भी खर्च हुआ है, सरकार की नीति भी है कि जो पुल बन जाता है उसका एप्रोच रोड बनना चाहिए । लगभग आधा कि0मी0 है महोदय और इससे पूरे आरा जनपद के जाम के समस्या भी दूर होगी इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार की लागत से चार करोड़ का लगभग पुल बनकर तैयार है, इसको कबतक ये एप्रोच रोड देना चाहते हैं जनता के हित में ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, हमने बताया कि अहर्त्ता की हम जांच करवा रहे हैं, उसके बाद इसको हम करवा देंगे ।

श्री (मो0) नवाज आलम: महोदय, समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय इसलिए कि लगभग 4 करोड़ की लागत से और...

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: आप ही के कहने पर हम पुल दे दिये हैं, आपसे मदद चाहेंगे ।

श्री (मो0) नवाज आलम: महोदय यह पुल दो साल से बनकर तैयार है ..

तारांकित प्रश्न संख्या- 1352(श्री कौशल यादव)

अध्यक्ष: आपका भी उत्तर दिया हुआ है । उत्तर देखे हैं ? आपका उत्तर तो 15 तारीख को ही अपलोड कर दिया गया है।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम सन्दोहरा से ग्राम पन्नछेका पथ खूरी नदी के बायें किनारे अवस्थित है । वर्त्तमान में नदी सूखी हुई है एवं कटाव नहीं हो रहा है । जलग्रहण क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने पर इस नदी में अल्प अवधि में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है एवं सड़क से सट कर जल प्रवाह होता है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1353(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में अंकित पश्चिम खोरवा टोला कमला बांध के किनारे अवस्थित है जिसकी आबादी 100 से कम है । प्रश्नगत पथ के रेखांकन पर कोई बसावट नहीं रहने के कारण किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है, सम्प्रति इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: महोदय, इसको कोर नेटवर्क में लाना चाहते हैं कि नहीं मंत्री महोदय क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह दलित बस्ती से संबंधित है इसलिए इसको कोर नेटवर्क में लाना चाहते हैं नहीं ?

अध्यक्ष: ठीक है । आप लिखकर दे दीजियेगा मंत्री जी दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1354 (श्रीमती वर्षा रानी)

अध्यक्ष: आपका भी उत्तर दिया हुआ है।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, (1)आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(2)स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के मरम्मती हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत तैयार कराया जा रहा है तदुपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्रीमती वर्षा रानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि ये सड़क काफी जर्जर स्थिति में है । यह प्राक्कलन कबतक बनकर तैयार होगा जो कार्रवाई होगी ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: इसी वित्तीय वर्ष में महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1355(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय,(1)स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 6 कि0मी0 है जिसमें 5.15 कि0मी0 कालीकृत में शेष पी0सी0सी0 है। कालीकृत अंश पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है जिसमें संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्त्तों के अनुरूप अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है, उक्त पथ के लगभग 1 कि0मी0 के पथांश में दोनों ओर घनी आबादी है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा फ्लैंक में मिट्टी भरकर फ्लैंक को ऊंचा कर दिया गया है जिस कारण बरसात के दिनों में उक्त भाग में जल जमाव हो रहा है एवं उक्त अंश बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाता है । क्षतिग्रस्त भाग में जलजमाव के

स्थायी निदान हेतु पथ का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । तदुनसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि जिन्होंने भी ये उत्तर बनाकर के भेजा है, पूरी तरह उत्तर गलत है । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है अंश 'क' में कि स्वीकारात्मक है, दूसरा आंशिक स्वीकारात्मक है । पिछले तीन साल से इस सड़क को लेकर के हम विभाग में घुम रहे हैं और महोदय लगभग सिक्रेटरी महोदय से मेरी तीन चार बार बात हुई है और पिछली बार उस संवेदक को इनलोगों ने वार्निंग भी दिया था, चिट्ठी भी दिया था लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह संवेदक कितना ताकतवर है कि उसके सामने सरकार घुटना टेक रही है और मैं आज इस सदन में चाहता हूॅं महोदय कि माननीय मंत्री जी सदन के फ्लोर पर उस संवेदक पर कार्रवाई करने की घोषणा करें । संवेदक गलती करता है और विधायकों को गाली सुननी पड़ती है।

अध्यक्ष: आप मिथिलेश जी, सरकार को निर्देशित नहीं कर सकते हैं । आप सिर्फ पूरक के माध्यम से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आपका वस्तुस्थिति जानने के लिए पूरक क्या है, वह बतलाईये ?

श्री मिथिलेश तिवारी: मेरा पूरक है महोदय, माननीय मंत्री जी बतायें कि संवेदक को अभी तक अनुरक्षण के मद में कितनी राशि का भुगतान किया गया, कब किया गया और अगर अनुरक्षण अवधि है 2020 तक तो उस सड़क का निर्माण अभी तक क्यों नहीं कराया गया जो भी उसमें करना था तो उस पर विभाग ने संवेदक पर कार्रवाई क्या की है, पिछले चार साल में, ये मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, हमने बतलाया कि जहां पर ज्यादा रोड क्षतिग्रस्त है । वह गांव के अगल बगल के लोग फ्लैंक ऊंचा कर दिये हैं जिसके कारण वहां सालों भर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और उसका हमने डी0पी0आर0 के लिए तत्काल निर्देशित कर दिया और डी0पी0आर0 बन भी गया है, उसके बाद हमलोग जल्द ही टेंडर निकाल देंगे लेकिन माननीय सदस्य का अगर कहना है कि ये संवेदक का लापरवाही है तो निश्चित रूप से हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, जांच तो इसमें हो चुकी है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दोनों तरफ से लोग फ्लैंक ऊंचा कर दिया है..

अध्यक्ष: आप मिथिलेश जी कह रहे हैं कि जांच हो चुकी है तो आपकी जानकारी के मुताबिक जांच किसने और कब की है ?

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, एस0ई0 ने किया है, सिवान एस0ई0 जाकर के...

अध्यक्षः आप माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य से सम्पर्क कर के अगर एस0ई0 ने कोई जांच की है तो वह रिपोर्ट देख लीजिये और उस आधार पर कार्रवाई..

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः हम इनके साथ पुनः भिजवा देंगे अधीक्षण अभियंता को ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1356 श्री (मो0)तौसीफ आलम

अध्यक्षः आपका उत्तर संलग्न देखा है, नहीं देखा है तो पढ़ दीजिये । अगर देख लेते तो जल्द ही निपट जाता ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, उपर्युक्त पथों का निर्माण ई0पी0सी के अन्तर्गत MoRT&H की विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है, जिसमें थर्ड पार्टी द्वारा गुणवत्ता जांच करायी जाती है । विभाग द्वारा उड़नदस्ता से जांच कराये जाने पर भी कार्य गुणवत्तापूर्वक पाया गया ।

श्री (मो0)तौसीफ आलमः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूँ कि ये रोड जो अभी बन ही रहा है, एक तरफ से बनकर के, अभी मुश्किल से 2-4 महीना भी नहीं हुआ है और दूसरी तरफ से उखड़ना शुरू हो गया है, फटना भी शुरू हो गया है और अभी से ही वह रिपेयरिंग कर रहा है । हम चाहेंगे, ये जांच जो हुआ है, यह लिपापोती वाला जांच हुआ है इसलिए हम चाहेंगे कि कोई विधान-सभा के कमिटी से हो तो और अच्छा है, नहीं तो उच्चस्तरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करायें ताकि उस दोषी पर कार्रवाई हो ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, सड़क तो बनकर तैयार हो गई है । अगर माननीय सदस्य कोई विशेष स्थान के बारे में जिक्र करते तो मैं उसकी भी जांच कराता । अगर माननीय सदस्य को संतोष नहीं है तो मैं मुख्य अभियंता से इसकी जांच करा दूंगा ।

टर्न-5/मधुप/17.07.2019

तारांकित प्रश्न संख्या-1357 (श्री अनिल सिंह)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, लघु जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग । बताइये ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, क- अस्वीकारात्मक है ।

ख-....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक चीज मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रश्न हमेशा 1-2-3 करके खंड में जाते हैं, क-ख-ग खंड नहीं बनता है । पहली बात तो यह कि खंड अगर बताना हो तो हमेशा खंड 1-2-3 होता है । बराबर मैं देखता हूँ कि कुछ मंत्रीगण क-ख-ग बोलते हैं, अगर प्रश्न का खंड 1-2-3 है।

नम्बर दो, आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न में कोई अधिक खंड है नहीं, वह एक ही खंड का प्रश्न है, इसलिये उसमें क-ख है नहीं, तो आप खंड क-ख में इसको क्यों विभाजित कर रहे हैं?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड-1 : अस्वीकारात्मक है ।

अध्यक्ष : फिर खंड कह रहे हैं !

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय...

अध्यक्ष : बैठिये न ।

श्री भाई वीरेन्द्र : एक मिनट महोदय ।

अध्यक्ष : क्या है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, माननीय मंत्री जी साबित करना चाहते हैं कि क-ख-ग उनको आता है ।

अध्यक्ष : इस मायने में, जान लीजिये, माननीय मंत्री जी काफी पढ़े-लिखे विद्वान आदमी हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : 2- नवादा जिलान्तर्गत नरहट प्रखंड के सहगाजीपुर नारायणपुर पईन खुदाई गुणवत्ता.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जवाब सुनिये । बैठे-बैठे मत बात करिये ।

बैठे-बैठे मत बात करिये ।

(व्यवधान)

बैठे-बैठे मत बात करिये ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण... भाई वीरेन्द्र जी, अब सभी माननीय सदस्य आसन की ओर देखिये.. सभी माननीय सदस्य आसन की ओर देखिये....

(व्यवधान)

फिर आप वीरेन्द्र जी, उधर देख रहे हैं !

श्री भाई वीरेन्द्र : हम आपकी तरफ देख रहे हैं ।

अध्यक्ष : सबलोग आसन की तरफ देखिये और माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग को श्री अनिल सिंह जी के प्रश्न का उत्तर देने दीजिये । माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : महोदय, 2- नवादा जिलान्तर्गत नरहट प्रखंड के सहगाजीपुर नारायणपुर पईन की खुदाई गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार करवाया गया है ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय....

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : उक्त योजना से 480 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। फिर भी, माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुये मुख्यालय स्तर से जो अभियंता इस कार्य से संबंधित नहीं हैं, से जॉच कराई जायेगी । प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय... अध्यक्ष महोदय....

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वहॉं जाकर बोलिये न ! वहॉं जाकर बोलिये ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय..... अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आप जगह पर जाकर बोलिये न !

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-6/आजाद/17.07.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, जो घटना घटी है, जब तक खेद प्रकट नहीं होता है तो हाऊस कैसे चलाईयेगा ।

अध्यक्ष : प्रह्लाद जी, संयोग से जिस समय कुछ अप्रिय बातें सदन में हुई, मैं भी सदन में मौजूद था । मैं आपकी इस बात से इतनी दूर तक जरूर सहमत हूँ कि अगर इस तरह की घटनायें सदन में होंगी तो सदन का चलाना मुश्किल हो जायेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है । मैंने पहले भी कहा है कि यह सदन आप सबों का है । अगर हम कोई अमर्यादित आचरण, असंसदीय आचरण, असंसदीय भाषा या कोई असंसदीय उक्ति का प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ हमारी आपकी जो प्रतिष्ठा, मर्यादा जाती है बल्कि इस सदन की मर्यादा का भी हनन होता है, यह सबसे बड़ी बात है। हम में से मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की इच्छा या किसी की मंशा इस तरह की हो सकती है । आसन का मानना है कि इस सदन का हर सदस्य इस सदन की अहमियत को समझता है, इस सदन की मर्यादा को समझता है, इस सदन की गरिमा को समझता है । हम, आप कितने भाग्यशाली हैं, हमारे आप पर, मैं बराबर कहता हूँ कि इस बात को महसूस करना चाहिए, यह ईश्वर की कृपा है । हमारा आपका सौभाग्य है कि जनता हमें चुनकर भेजती है और इस प्रजातंत्र के मंदिर का सदस्य बनाती है । स्वाभाविक रूप से जब जनता हमें यहां चुनकर भेजती है तो हम सबसे जो यहां की भाषा है, जो यहां की मर्यादा है, जो यहां की गरिमा है, इसके अनुरूप ही आचरण की अपेक्षा भी रखती है और ऐसी हालत में अगर कोई असंसदीय बातें हो जाती हैं, जो न किसी सदस्य के, न सदन की मर्यादा के अनुरूप है तो स्वाभाविक रूप से यह सबके लिए दु:ख का विषय है । चूँकि मैं सदन में उपस्थित था, मैं आज की उस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ । ऐसी घटनायें कभी सदन में नहीं होनी चाहिए और चाहे जिस किसी के कारण हुआ हो, चाहे किसी की बात के कारण हुआ हो, चाहे जिस किसी की बातों से उत्पन्न गलतफहमी के कारण हुआ हो, ऐसी बातों की जगह हमारी संसदीय प्रणाली में नहीं होती है । इस सदन का सदस्य बनने के लिए हम कितने परेशान रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं । पूरे पाँच वर्ष लगे रहते हैं जनता का

आशीर्वाद पाने के लिए, तब उसकी बदौलत जनता का आशीर्वाद मिलता है और तब हम आप इस सदन तक पहुँच पाते हैं ।

इसलिए आसन का तो यह स्पष्ट मानना है कि किसी सदस्य को इस सदन का सदस्य बनने तक की दूरी तय करने में किसी से कम मेहनत की नहीं पड़ी है। सब लोगों ने अपार मेहनत की है, जनता की सेवा की है । हमने-आपने अपने आचरण, अपनी जनता की सेवा हमने की है, उसकी बदौलत जनता के आशीर्वाद से हम यहां पहुँचे हैं, इस सदन के सदस्य बने हैं । जिस दिन इस सदन की प्रतिष्ठा, गरिमा नहीं बचेगी तो यह सोचने की बात है कि हम आप कहां रहेंगे? इसलिए जो भी हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है । इस संबंध में मैंने पहले भी बराबर तमाम सदस्यों से अनुरोध किया है । होता यह है कि कोई भी बात जो आज के भी प्रसंग में जितना मैंने सुना है, बात शुरू होती है सामान्य तरीके से, कहीं हल्के फुल्के ढंग से बात शुरू होती है, फिर उसी बीच में निकलते-निकलते कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं उससे किसी विस्फोटक गलतफहमी की आशंका बन जाती है और एक बार अगर विस्फोटक गलतफहमी बन गई तो बातें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि आज ही जहां से बात शुरू होकर के जो मुझे आभास है, जहां तक पहुँच गई उसका कोई औचित्य नहीं है । फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक तो जब सदन चलता है, इसकी मर्यादा के अनुरूप आपस में याद करिए कि मैं बराबर कहता हूँ कि जो भी सदस्य बोलिए, आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलिए । एक तो एक दूसरे सदस्य की तरफ आँख में आँख डालकर के, ऊँगली दिखाकर के बात करने से आधी परिस्थिति या माहौल बदल जाता है और अगर आप आसन की तरफ मुखातिब होकर के अपनी बातें कहेंगे तो निश्चित रूप से आसन भी उनपर विचार करेगा लेकिन आपस में ही बातें शुरू हो जाती हैं तो आसन को मजबूरी हो जाती है, मैं बीच में आपको टोकता हूँ और यह भी बता देता हूँ कि आसन के द्वारा सदन व्यवस्थित ढंग से या मर्यादित ढंग से बिना आपके सहयोग के नहीं चल सकता है । यह आसन की भी सीमा के बाहर की बात है। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, यह सदन सुव्यवस्थित नहीं चल सकता है ।

इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में यह मानते हुए कि किसी भी माननीय सदस्य की यह मंशा नहीं हो सकती है कि हम किसी दूसरे सदस्य को अपमानित करें या उसकी मर्यादा का हनन करें क्योंकि किसी एक सदस्य की मर्यादा जायेगी तो सदन की मर्यादा जायेगी और सदन की मर्यादा जायेगी तो हमारे आप में से किसी की भी मर्यादा नहीं बचेगी । फिर हम जनता से क्या कहकर यहां आने की बात करेंगे अगर इसकी मर्यादा नहीं बचेगी । इसलिए मेरा आप सबों से यही आग्रह है कि

आपस में टोका-टोकी नहीं करें । मैं मानता हूँ कि जब विश्वास के तहत यह बातें होती हैं तो हल्के-फुल्के ढंग में, मनोरंजन हास्य-व्यंग्य में बात रह जाती है लेकिन अगर उसी में कोई गलतफहमी की बात हो जाती है बात चलते-चलते तो वह विस्फोटक रूप ले लेती है । एक तो उसमें संयम बरतना चाहिए । दूसरा अगर कुछ गलतफहमी हो जाय या आपस में लगे भी कि कुछ गलतफहमी हो रही है तो थोड़ी देर के लिए संयम करके जिस किसी ने गलती की होगी, अगर उसकी गलती प्रमाणित करके फिर हम मानते हैं कि किसी सदस्य के अन्दर ऐसा मनोभाव नहीं हो सकता है, किसी की भी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है कि किसी सदस्य को अपमानित करके सदन की मर्यादा का हनन करें और अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसी समय आपस में बैठकर के इस बात को हल कर लें । प्रजातंत्र में जो हमारी संसदीय प्रणाली है, इसमें हमेशा देखिए कि आपस में जो कॉम्यूनिकेशन लाईन होता है, आपस में बातचीत का रास्ता जो होता है, यह प्रजातंत्र में कभी बन्द नहीं होता है क्योंकि जिस दिन बातचीत का रास्ता बन्द हो गया, कॉम्यूनिकेशन का लाईन बन्द हो गया, फिर जिन गलतफहमियों की बिना पर स्थिति खराब होती है, वह और तेज होती जाती है लेकिन अगर आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर सारी बातों के स्वत: निराकरण की ओर हम बढ़ते हैं । अगर एक तरफ से कोई गलतफहमी हुई, फिर दूसरी तरफ से और उसपर पड़ गया, फिर जाकर के कहां-कहां से बात पहुँच जाती है । इसलिए आज जो कुछ हुआ, वह बिल्कुल अशोभनीय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारी आप सबों से यही दरख्वास्त है कि अब इसको किसने क्या किया, किसने क्या बोला, यह मानते हुए कि जिसने भी गलत बातें बोलीं, जिसने असंसदीय बातें बोली, जिसने असंसदीय आचरण किया, वह इस सभा के, इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और उनको ऐसे आचरण से बचना चाहिए, तभी इस सदन की मर्यादा रहेगी, तभी फिर हमलोग जनता के पास जाकर के फिर से अपनी दरख्वास्त, अपनी अर्जी लगायेंगे कि हमको फिर इस सदन में भेजिए । अगर यहीं की मर्यादा खत्म हो जायेगी फिर तो हमें जनता के सामने दरख्वास्त डालने का भी अधिकार नहीं रहेगा ।

इसलिए मेरा आसन की तरफ से आप सबों से करबद्ध अनुरोध है कि अब सदन की मर्यादा की खातिर सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित चलने दीजिए और यह जो घटना हुई है, जो अशोभनीय घटना हो गई है, हम सबको इसके लिए खेद है । ऐसी बातें कभी नहीं होनी चाहिए ।

...... क्रमश: ......

टर्न-7/शंभु/17.07.19

अध्यक्ष : क्रमशः... भविष्य में इससे एक सबक लेने की जरूरत है । मैं फिर दोहराता हूँ कि हंसी मजाक में जो बात शुरू होती है वह किसी समय कोई तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है । इसलिए वैसे आचरण से, वैसे वार्त्तालाप से, वैसी टिप्पणी से हमेशा बचना चाहिए जो किसी समय कोई गलतफहमी पैदा कर सकती है । इसलिए यह हम सबके लिए दुख का विषय है, हम सबों के लिए खेद की बात है। मेरा आप सबों से अनुरोध होगा कि जिसने भी किया है, जिसकी भी गलती है, जिसने भी असंसदीय बातें की है , अब अगर उसकी खोज में हम लगते हैं तो फिर एक-एक करके नाम गिनाना पड़ेगा किसने क्या बोला- अब आप बोलिये कि अगर साबित हो जाता है कि ए ने बोला कि बी ने बोला तो इससे सदन का क्या फायदा होगा । यह तो सब समझ रहे हैं कि किसने क्या बोला और जिसने असंसदीय बात बोली, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया वह सब इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है । इसलिए अब इधर से उधर को हम छांट तो नहीं रहे हैं अरूण जी, उधर इधर की बात तो हम नहीं कर रहे हैं । इसी में फिर बात बिगड़ जाती है । इसलिए हम फिर आप सबसे अनुरोध करते हैं कि सदन की कार्यवाही जितनी सुचारू रूप से चलेगी, जितनी व्यवस्थित ढंग से चलेगी उतने ही इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की इज्जत बढ़ेगी और लोगों की नजर में हम सबों का सम्मान बढ़ेगा । इसलिए अब वित्तीय कार्य होने दीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हम जब कभी भी बोलते हैं तो आसन की तरफ देखकर बोलते हैं ।

अध्यक्ष : अच्छा करते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : और उन्होंने इस तरह का आचरण किया जब आपसे बात कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे तो उन्होंने हमारे तरफ इंगित करके असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। पहले इज्जत है तब राजनीति है, इज्जत नहीं है तो राजनीति किस बात की । वे क्या हैं, मैं क्या हूँ जनता जानती है, पब्लिक सब जानती है ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, आप जो कह रहे हैं, आप बैठिए न । आप जो कह रहे हैं जिस किसी ने उंगली दिखायी या फिर इधर-उधर-जिधर से भी उंगली दिखायी वह अशोभनीय है । यही तो हम कह रहे हैं इससे बचना चाहिए । अगर उन्होंने दिखायी तो यह गलत था, इधर से दिखाया तो ये गलत था । इसलिए जिसने दिखाया हम कहां कह रहे हैं, हमने कहा है आपको दिखाया है ? विजय जी, हमने आपको नहीं कहा है । इसलिए अब वित्तीय कार्य होने दीजिए ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

अब स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है, विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	60 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	41 मिनट
इंडियन नेश्नल कांग्रेस	-	19 मिनट
सी0पी0आइ0एम0एल0	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	-	01 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 96,22,75,89,000/- (छियानवे अरब बाइस करोड़ पचहत्तर लाख नवासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं रामदेव राय जी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

(प्रस्ताव नहीं किया गया)

श्री ललित कुमार यादव ।

(प्रस्ताव नहीं किया गया)

श्री सदानन्द सिंह जी ।

(प्रस्ताव नहीं किया गया)

श्री भोला यादव ।

(प्रस्ताव नहीं किया गया)

श्री महबूब आलम ।

(प्रस्ताव नहीं किया गया)

श्री समीर कुमार महासेठ ।

(प्रस्ताव नहीं किया गया)

श्री रामदेव राय ।

(प्रस्ताव नहीं किया गया)

चूंकि कोई कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ इसलिए मैं मूल प्रस्ताव पर वाद-विवाद प्रारंभ करता हूँ । श्री मेवालाल चौधरी ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, हम बजट के फेवर में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं हमारे यशस्वी और बड़े ही तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है वह बड़ा अभूतपूर्व हुआ है । महोदय, अगर आप 2005-06 का डेटा देखेंगे तो मृत्यु दर में जो कमी आयी है यह अभूतपूर्व है। जो मातृ मृत्यु दर में 165 से घटकर के यह 2005-06 में 371 था, वह घटकर 165 आ गया है । महोदय, उसी तरह इनफैन्ट बच्चे का जो शिशु मृत्यु दर है वह 61 से घटकर 38 परसेंट पर आ गया है ।

(व्यवधान)

महोदय, यह दर्शाता है कि हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कितना मजबूत हुआ है । चाहे वह इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वह फैसलिटी वाइज हो । हमारी सरकार ने तकरीबन 172 जीवनरक्षक दवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के बीच में बांटा गया है । कुछ ऐसे मेडिकल डिवाइस हैं वह भी फ्री दिया जाता है । महोदय, जिसके कारण लोगों का, रोगियों का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचने का जो लगभग जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ा है । अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहां ढांचागत और इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमारी सरकार आदरणीय मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी मजबूत करने के लिए और वर्ल्ड लेवेल हास्पीटल बनाने के लिए अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि पटना मेडिकल कॉलेज हास्पीटल में 5 हजार बेडेड हास्पीटल बनाया जायेगा एवं आइ0जी0आइ0एम0एस0 एवं एन0एम0सी0एच0 को, नालन्दा मेडिकल कॉलेज में ढाई हजार बेड का हास्पीटल बनाने का प्रस्ताव हाल में मंजूर किये हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिस्ट हास्पीटल बनाने का भी अपना भाव

दिखाया है और मुझे बताने में खुशी है कि तकरीबन 106 बेड का आइ0 सुपर हास्पीटल बनाने की स्वीकृति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है । महोदय, आनेवाले दिनों में इस तरह का एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पीटल बनाया जायेगा। महोदय, अभी हाल में ही भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर एवं टाटा मेमोरियल हास्पीटल के सहयोग से एक विशेष कैंसर हास्पीटल 150 करोड़ रूपये की लागत से मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में बनाने का फैसला लिया गया है । महोदय, इसके अलावा जो हमारे राज्य में डाक्टर की कमी हो रही है उस डाक्टर की कमी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है कि हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज खोला जाय ताकि जो डाक्टर का अभाव है वह आनेवाले दिनों में उस अभाव को हमलोग पूरा कर लें । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा डाक्टर के साथ जितने सबऔर्डिनेट स्टाफ होते हैं उसकी पढ़ाई के लिए जो जे0एन0एम0 और पारा मेडिकल संस्थान हर जिले में हो इसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे यही बात आप वहां जाकर बोलिये न । हम चाहते हैं यही बात आप बोलिये ।

श्री मेवालाल चौधरी : बिहार के हरेक सबडिविजन में ए0एन0एम0 कॉलेज खोलने का भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है । ये सारी बातें ऐसे राज्य में लिया गया है । महोदय, ये तभी संभव हो सका जब हमारे यशस्वी मुखिया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और हमारे बड़े आर्टिकुलेटेड मंत्री जी हैं और बड़े ही आर्टिकुलेटेड ढंग से प्लानिंग करके यह संभव हो सका है ।

क्रमशः

टर्न-8/ज्योति/17-07-2019

क्रमशः

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, हमारा कुछ सुझाव है इस मामले में । महोदय, मेरा पहला सुझाव है हमें पता नहीं इस बात का हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हौस्पिटल हैं उसमें हमलोग बायो सेफ्टी रेगुलेशन की बात कर रह हैं आज के डेट में जितने भी कौंटामिनेटेड मैटेरियल्स हैं, उसका डिसपोजल किस तरह से हो रहा है इसको भी ध्यान देने की जरुरत है । अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में एक होलीस्टीक हेल्थ पॉलिसी बनाने की जरुरत है ताकि गरीब और अमीर, इस हेल्थ पॉलिसी का फायदा लें । जैसे विदेशों में जब भी कोई हेल्थ पॉलिसी होती

है, अध्यक्ष महोदय कोई भी दवाई लेने जायेंगे, किसी भी डौक्टर के पास तो वह सबसे पहले सवाल करेंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस से कौवर हैं कि नहीं, जबतक आप हेल्थ इनश्योरेंस से कौवर नहीं हैं, तबतक आपको दवाई नहीं दी जायेगी जबकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्यक्रम चलाया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम चाहते हैं कि यही बात वहाँ से बोलिए ।

श्री मेवा लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना चलायी है और उनका ही उद्‌घोषणा है कि आने वाले दिनों में तकरीब 11 करोड़ लोगों को फायदा होगा।उसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना चल रही है । जितने भी असाध्य बीमारी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अपने कोष राज्य सरकार के कोष से उनको पैसा दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारा कुछ सुझाव है, हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, हमारे सिविल सर्जन ने बताया है कि जितने भी हमारे प्राईमरी हेल्थ सेंटर हैं जिसके पास जमीन उपलब्ध है उनके बिल्डिंग के अभाव में वह काम ठीक से नहीं कर पा रहा है । वह किराये में चल रहा है । निवेदन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से कि चाखंड में एक प्राईमरी हेल्थ सेंटर है जो बहुत ही पुराना है । यह वर्षों से किराये में चल रहा है । चाखंड तारापुर विधान सभा क्षेत्र का असरगंज प्रखण्ड में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी किराये के मकान में चल रहा है और हमें पता चल रहा है कि सिविल सर्जन ने जमीन की उपलब्धता की अनुशंसा सरकार को कर दी है । मेरा अनुरोध है अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कि चाखंड में बिल्डिंग बनाने की कृपा की जाय । उसी तरह जाला संग्रामपुर प्रखण्ड में पड़ता है, वहाँ भी प्राईमरी हेल्थ सेंटर है महोदय, और उस प्राईमरी हेल्थ सेंटर को जमीन उपलब्ध है उसका भी रेकोमेडेशन डिस्ट्रीक्ट लेवेल से आ गया है, मेरा निवेदन होगा स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जाला में जो संग्रामपुर प्रखंड के जाला में अवस्थित है उसे भी बनाने की कृपा की जाय और एक टेटियाबंदर में एक हौस्पिटल है, वहाँ भी जमीन की काफी उपलब्धता है, हम निवेदन करेंगे अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कि उसे भी बनाने की कृपा करें । एक अंतिम मेरा निवेदन होगा, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से सर खड़गपुर में जो हौस्पिटल आप बनवा रहे हैं, उसके लिए हम पूरी खड़गपुर की जनता आपकी शुक्रगुजार है, कृतज्ञ हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं रहने से डिलीवरी में बड़ा प्रौब्लम होता है । आपसे निवेदन

होगा कि एक लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग वहाँ करने की कृपा करेंगे । धन्यवाद, महोदय जो आपने समय दिया । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी जगह पर जाकर कोई बात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा । इनकी बातों को सरकार सुनना चाहती है । इनकी बातों को सरकार जानना चाहती हैं और इनके बहुमूल्य सुझावों को सरकार ग्रहण करना चाहती हैं तो अपनी जगह पर माननीय सदस्य चले जांय तो सरकार को बेहतर सुझाव भी देंगे और सरकार उसपर अमल भी करेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी कहे हैं न कि इधर घूम कर बोलिए ।

(व्यवधान)

अब टेबुल से किनको दुश्मनी हो गयी है ? वही टेबुल तक पहुंचने के लिए परेशान रहते हैं । ऐसी चीज से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए ।

अब सभा की कार्यवाही, अब सुनिये न भाई, आपके मन की बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 4 बजकर 50 मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न : 09 / कृष्ण/17.07.2019

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग अपनी मांग पर अपना वक्तव्य देंगे । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के बजट भाषण में विशेष कार्य योजना जो हमने बनायी है, उसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं, उसे सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री को अपनी बात रखने दीजिये न ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण विषय है, समय कम है, इसलिए आपके सामने रखता हूं महोदय । 5540.07 करोड़ की लागत पर पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को 3 फेज में 5000 शैय्या के विश्व स्तरीय पर अस्पताल बनाने की योजना है । साथ ही राज्य में 11 नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई की जा रही है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अभी तो वक्तव्य दे रहे हैं । बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरागांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में क्षमता विस्तार का निर्णय लिया गया है । इस हेतु 500 बेड के एक नये अस्पताल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है जबकि 1200 बेड के नये अतिरिक्त अस्पताल भवन का परियोजना प्रस्ताव 513 करोड़ रूपये की लागत पर तैयार कराया गया है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित की जायेगी । आई0जी0आई0एम0एस0,पटना में पुराने कॉलेज भवन में 300 नये बेड का क्षमता विस्तारण किया जा रहा है ।

आज दिनांक 17.07.2019 से 150 नये बेड कार्यरत हो गये हैं तथा शेष 150 नये बेड दिनांक 22.07.2019 से कार्यरत हो जायेंगे ।

मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर में प्रथम चरण में कुल 128.96 करोड़ रूपये की लागत से 272 शय्या के भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 209.78 करोड़ रूपये की लागत से राज्य के 14 ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग मांग कर रहे हैं और माननीय मंत्री मांग पर ही बोल रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटना के अतिरिक्त राज्य में दूसरे संस्थान को स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है । मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 15 हजार 66 रोगियों को लगभग 141 करोड़ 29 लाख 22 हजार 5 सौ रूपये की सहायता प्रदान की गयी है ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा ए0एन0एम0 के पदों पर नियुक्ति हेतु 6,480 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिनका जिलों में नियुक्ति हेतु आवंटन की कार्रवाई अंतिम चरण में है । इसी तरह बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा नियमित 9130 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन इस सप्ताह में प्रकाशित हो जायेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आकर कुछ बोलने लगे)

महोदय, 169 ट्यूटर तथा 145 प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना 2019 में भेजी गयी है । 62 करोड़ की लागत पर श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,मुजफ्फरपुर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत कम्पोजिट स्टील स्ट्रक्चर निर्माण तथा धर्मशाला का भी प्रावधान किया गया है । रूपये 200 करोड़ की लागत पर एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर में एक विशिष्ट कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है । आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपूरा, पटना में 138 करोड़ रूपये व्यय के साथ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपूरा, पटना में 100 बिस्तर वाला स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है ।

(व्यवधान जारी)

साथ ही पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में किडनी प्रत्यारोण इकाई का आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है । महोदय, 31मार्च, 2018 में जहां 95 औषधियों का दर निर्धारण किया गया था, वहीं इस वित्तीय वर्ष में कुल 205 औषधियों का दर निर्धारण उपलब्ध है । इसी प्रकार 31 मार्च, 2018 में जहां 5 शल्य सामग्रियों का दर निर्धारण किया गया था, वहीं इस वित्तीय वर्ष में कुल 90 शल्य सामग्रियों का दर निर्धारण उपलब्ध है तथा 31 मार्च, 2018 में जहां 7 उपकरण का दर निर्धारण किया गया था, वहीं इस वित्तीय वर्ष में कुल 61 उपकरण का दर निर्धारण किया गया है । वर्ष 2016 में जहां राज्य के 67 प्रखंड कालाजार .....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री अनुदान मांग पर ही बोल रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वही 2018 में यह संख्या घटकर 30 हो गयी है । इस प्रकार कालाजार प्रभावित प्रखंडों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है । पटना एवं दरभंगा में 100 शैय्या वाले नये सदर अस्पताल की स्थापना की जा रही है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप मांग कर रहे हैं और माननीय मंत्री मांग पर ही बोल रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल जहानाबाद, कटिहार एवं नवादा में नये भवन निर्माण किये जाने की योजना प्रस्तावित है । लगभग 12.91 करोड़ रूपये की लागत से राज्य के 12 सदर अस्पतालों के अतिरिक्त क्षमता का विकसित करने हेतु कार्य प्रक्रियाधीन हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री का वक्तव्य समाप्त होगा तब न ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर अस्पताल के 400 बेड के हड्डी रोग के विशिष्ट अस्पताल के रुप में परिणत करने की योजना है । साथ ही भारत सरकार की योजनान्तर्गत 9 स्तरीय ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । मोकामा प्रखण्ड स्थित रेफरल अस्पताल के परिसर में लेवेल तीन स्तरीय ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । आई.जी.एम.एस,पटना में कुल 15 सुपर स्पेशलिटी के स्थापित करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है, जो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 440 की वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष : आपलोगों को विरोध करने का अधिकार है, विरोध करने के और भी विकल्प हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : साथ ही निजी प्रक्षेत्र में वर्तमान सत्र के लिए दो नये मेडिकल कॉलेज को 250 सीटों की अनुमति प्राप्त हुई है । सरकार द्वारा राज्य के आठ मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा 22 सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा प्रारम्भ करने की योजना है । पांच मेडिकल कॉलेजों में एम.आर.ई. की सुविधा कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है साथ ही 34 जिला अस्पतालों तथा 22 अनुमंडलीय रेफरल अस्पतालों में अल्ट्रा साउन्ड मशीन का अधिष्ठापन किया गया जा चुका है ।

महोदय, 7 जिलों में पेडियाट्रिक आई.सी.यू. की स्थापना कर संचालित किया गया है तथा कुल 15 पेडियाट्रिक आई.सी.यू. की स्थापना कराये जाने की योजना है । सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत नये 27 ए.एन.एम, 18 जी.एन.एम. 6 बी.एस.सी. नर्सिंग एवं 23 पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना का कार्य चल रहा है । इनमें से अधिकतर संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है या अंतिम चरण में है ।

राज्य के 7 अस्पतालों में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है । 3799 ए.एन.एम. को टैबलेट एवं बायोमेट्रिक डिवाईस उपलब्ध कराया गया है तथा कुल 17855 ए.एन.एम. को टैबलेट एवं बायोमेट्रिक डिवाईस उपलब्ध कराये जाने की योजना है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 136 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 206 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है । 218 स्वास्थ्य संस्थानों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का प्रशिक्षण कराया जा रहा है । अभी तक 16 हजार ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता उत्तीर्ण हुए हैं । राज्य में 10 नये रक्त अधिकोष एवं राज्य में 4 नये ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं राज्य में 57 ब्लड स्टोरेज यूनिट कार्यरत हैं तथा 20 नये स्थापित किए जा रहे हैं । सभी रक्त अधिकोषों के डिजिटलाईजशेन करने का निर्णय लिया गया है । राज्य के 426 स्वास्थ्य संस्थानों के लेबर रुम को लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत गुणवता सुधार किया जा रहा है तथा क्रमबद्ध रुप से गुणवता प्रमाण पत्र करने की योजना है । राज्य में 42 नवजात देख-भाल इकाई एवं 40 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई कार्यरत है । विशेष नवजात देख-भाल इकाई को अनुमंडल स्तर तक ले जाने का प्रयास है, जिसके तहत 19 अनुमंडलीय अस्पतालों का चयन किया गया है । टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2019 में खेसरा, रोबेला टीकाकरण अभियान द्वारा 4 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया तथा इसे नियमित टीकाकरण में कार्यक्रम में शामिल किया गया है । महोदय, इसी क्रम में रोटा वायरल वैक्सिन की शुरुआत कर इसे नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया है ।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत कन्या शिशु पूर्ण टीकाकरण उपरांत 2 हजार की रुपये की राशि दी जा रही है । राज्य में 9 मोडल टीकाकरण केन्द्र विकसित किए गए हैं तथा 10 प्रस्तावति है ।

(व्यवधान जारी)

प्रजनन दर में गिरावट लाने की दिशा में परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत 9 अक्तूबर 2017 कों गर्भ निरोधक इंजेक्शन एवं सेंटर वोमेन छाया सप्ताहिक गोली को बास्केट औफ च्वाईस में शामिल किया गया एवं इसे स्वास्थ्य उप केन्द्र तक कार्यान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है । उपर्युक्त प्रयासों से कुल प्रजनन दर में कमी आयी है । इसी तरीके से संविदा पर नियोजित आयुष चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाकर एलोपैथी चिकित्सकों के समान 44 हजार रुपया प्रतिमाह किया गया है । महोदय, आपको बताना चाहता हूँ कि लोकहित साझेदारी के सहत जयप्रभा ब्लड बैंक में निर्माणाधीन 500 शय्या वाले मेदान्ता अस्पताल में ओ.पी.डी. की सुविधा इस वर्ष के अंत तक प्रारंभ हो जायेगी तथा आगामी वर्ष आई.पी.डी. सुविधा पूर्णत: संचालित हो जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, श्रावणी मेला प्ररम्भ हुआ है, उसकी भी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने की हे और बी.एम.आई.सी.एल. लगातार अपने खर्चे को बढ़ा रहा है और विभिन्न जो मानक होते हैं स्वास्थ्य के, उन मानकों में भी काफी सुधार हुआ है, चाहे वह मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो या 5 साल से कम बच्चों का मृत्यु दर हो या इम्यूनराईजेशन हो ।

महोदय, संक्षेप में मैंने विषय को रखने की कोशिश की है । मैं आपके माध्यम से अपने बजट भाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रख रहा हूँ और अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के 96 अरब 22 करोड़ 75 हजार 89 हजार रुपये की बजट की स्वीकृति दी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा है, वह इनके भाषण का अंश बनेगा और सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अब मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मांग के प्रस्ताव को लेता हूँ ।

टर्न-10/अंजनी/17.07.19

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 96,22,75,89,000/-(छियानवे अरब बाइस करोड़ पचहत्तर लाख नवासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोगों का भी निवेदन है, यह तो सुन लीजिए ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-50 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

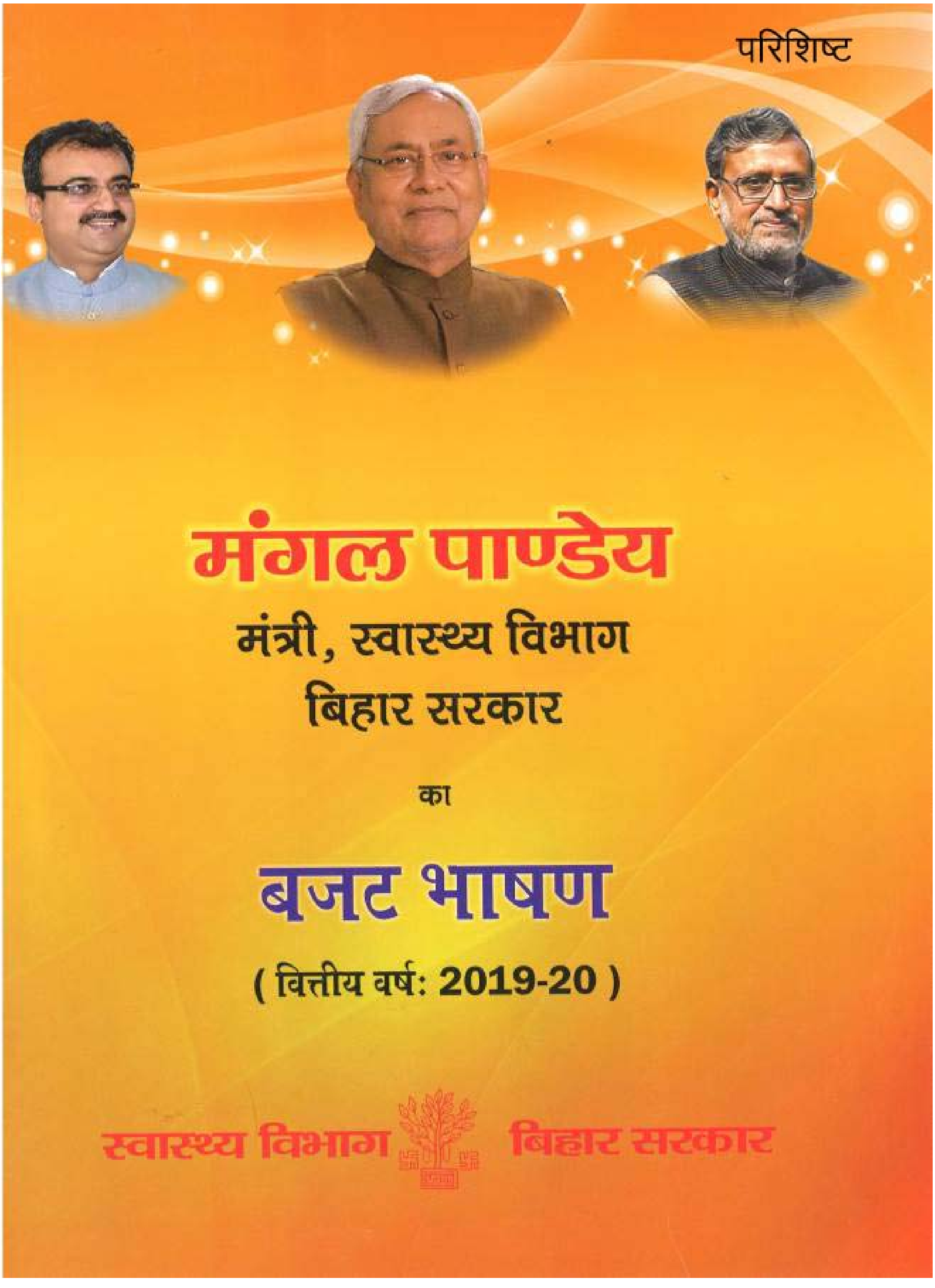
परिशिष्ट
मंगल पाण्डेय
मंत्री, स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार
का
बजट भाषण
(वित्तीय वर्ष: 2019-20)
स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

मंगल पाण्डेय

मंत्री, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना

मान्नीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट अभिभाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री तथा श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप–मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सतत् प्रयत्नशील है। आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाएँ संचालित की जा रही है एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु निम्न कार्यक्रमों के संचालन का निर्णय वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया गया है:–

मुजफ्फरपुर जिला एवं इसके आसपास के जिलों में फैली Acute Encephalitis Syndrome (A.E.S.) समूह की बीमारी के कारण श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में रोगियों की संख्या में हुई अचानक वृद्धि तथा भविष्य में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता को देखते हुए उक्त परिसर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई अस्पताल (PICU) सह अनुसंधान

केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा 62 करोड़ की लागत पर प्रदान की गई है एवं इसका निर्माण कार्य Composite Steel Structure के रूप में कराये जाने का प्रावधान है ताकि इसका निर्माण कार्य अगले 9 माह में पूर्ण किया जा सके। इस परियोजना में PICU भवन के अतिरिक्त एक धर्मशाला का भी प्रावधान किया गया है ताकि रोगियों के परिजन उक्त भवन में विश्राम कर सकेंगे।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को तीन फेज में 5000 शैय्या के विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की योजना रु0 5540.07 करोड़ की लागत पर स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसके भवन संबंधी आधारभूत संरचना निर्माण कार्य निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के रूप में पी०एम०सी०एच० को विकसित करने के अलावा विभाग द्वारा राज्य में 11 नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई की जा रही है। छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, झंझारपुर, बक्सर तथा जमुई में खोले जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से संबंधित योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भोजपुर (आरा) एवं सीवान में खोले जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालय की भूमि का चयन प्रक्रियाधीन है। रहुई डेन्टल कॉलेज, नालन्दा का कार्यारम्भ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है। साथ ही छपरा एवं पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का भी कार्यारम्भ किया जा चुका है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में किडनी प्रत्यारोपण ईकाई के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। साथ ही, परमाणु ऊर्जा आयोग, मुम्बई एवं टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में रु0 200 करोड़ की लागत पर एक विशिष्ट कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इससे उत्तर बिहार सहित राज्य में कैंसर के मरीजों को राज्य में ही कैंसर का विशिष्ट इलाज संभव हो सकेगा।

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगले 10 महीनों में लगभग 138.00 करोड़ रुपये व्यय के साथ 100 बिस्तर वाला यह अत्याधुनिक संस्थान पूरा हो जायेगा। यह संस्थान बीमारी के निदान व उपचार पहलूओं पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रयास करेगा।

भारत सरकार के संस्थान राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) की बिहार राज्य अन्तर्गत शाखा नालन्दा मेडिकल कॉलेज के परिसर में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें Laboratory की सुविधा के साथ–साथ Emerging & Re-emerging disease के अनुसंधान का कार्य भी किया जाएगा।

AIIMS पटना के अतिरिक्त राज्य में दूसरे स्थान पर AIIMS समरूप दूसरे संस्थान को स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए "स्वास्थ्य भवन" के निर्माण हेतु रु0 58.33 करोड़ मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि राज्य के 38 जिलों में से दो जिलों जहाँ जिला अस्पताल नहीं था, यथा–पटना एवं दरभंगा में 100 शैय्या वाले सदर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। पटना अवस्थित गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल को सदर अस्पताल, पटना के रूप में नामित किया गया है जबकि, दरभंगा में भूमि चयन किया जा चुका है। नये भवन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

सदर अस्पताल जहानाबाद, के नये भवन निर्माण हेतु 93.53 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कटिहार एवं नवादा के पुराने भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण किये जाने की योजना प्रस्तावित है। साथ ही, मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर में प्रथम चरण में कुल 128.96 करोड़ रुपये की लागत से 272 शैय्या के भवन निर्माण संबंधित कार्रवाई की जा रही है।

लगभग 12.91 करोड़ रूपये की लागत से राज्य के 12 सदर अस्पतालों यथा सासाराम, गया, बक्सर, भभुआ, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं मुंगेर के अतिरिक्त क्षमता का विकसित करने हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें सासाराम का कार्य लगभग पूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, लगभग 209.78 करोड़ रू0 की लागत से राज्य के 14 अनुमंडलों में 50–100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें से 6 (यथा–बेलसंड, बखरी, तेघरा, महनार, मढ़ौरा एवं हवेली खड़गपुर) अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। बेलसंड एवं तेघड़ा अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि 8 स्थलों यथा रक्सौल, सिकरहना, बिरौल, गोगरी,

वीरपुर, त्रिवेणीगंज, पालीगंज एवं बेनीपट्टी की निविदा प्रक्रियाधीन है। साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना के पुराने भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण किये जाने की योजना भी प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के सभी 38 जिला सत्र न्यायालयों में औषधालय स्थापित करते हुए आवश्यक कुल 190 पदों का सृजन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में लोक नायक जयप्रकाश नारायण राजवंशी नगर हड्डी रोग विशिष्ट अस्पताल में लगभग 12 करोड़ रू० की लागत से तीस बेड के ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिसे अगले एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। साथ ही इस अस्पताल को 400 बेड के हड्डी रोग विशिष्ट अस्पताल के रूप में परिणत करने हेतु 215 करोड़ रूपये की लागत से परियोजना की स्वीकृति मंत्री परिषद् द्वारा प्रदान की गई है एवं अगले तीन माह में निर्माण कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इस हेतु स्थापित होने वाले ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु कुल 123 (एक सौ तेइस) नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही, DMCH दरभंगा, SKMCH मुजफ्फरपुर, ANMMCH गया, सदर अस्पताल, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, गोपालगंज, किशनगंज एवं अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर में भारत सरकार के योजनान्तर्गत ट्रामा सेन्टर की स्थापना हेतु MoU में हस्ताक्षरोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य योजनान्तर्गत भी पटना जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित मोकामा प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल के परिसर में L-III स्तरीय ट्रामा सेन्टर स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है, इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के आवश्यक कुल 73 पदों का सृजन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को चिकित्सा शिक्षा में हुये प्रगति से अवगत कराते हुए कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के विकास में इस वित्तीय वर्ष में निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं:–

- स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना:– राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना के अध्ययन हेतु अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है।

- निजी चिकित्सा / दन्त महाविद्यालयों के यू0जी0 / पी0जी0 पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारितः– राज्य के तीन–तीन चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालयों में नामांकन के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे छात्रों से निर्धारित शुल्क ही लिए जा सकेंगे।

- चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के ऑपरेशन थियेटर एवं लेक्चर थियेटर के मध्य Video Conferencing की सुविधाः– इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के Operation Theatre एवं Lecture Theatre में Video Conferencing सुविधा प्रदान करने हेतु रु0 14,83,30,000 / – मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) स्वीकृत की गई है। इससे स्मार्ट क्लासेज का संचालन किया जा सकेगा और एक संस्थान की कक्षाएँ, दूसरे संस्थानों के छात्रों को भी सुलभ हो सकेगी।

- केन्द्रीयकृत Laundry की स्थापनाः– नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में केन्द्रीयकृत Laundry की स्थापना हेतु रु0 29,81,00,000 / – मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की स्वीकृति दी गई है।

- नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना परिसर के संप हाउस के पीछे बने नाले का गंदा पानी अस्पताल में प्रवेश करने से रोकने हेतु चहारदीवारी निर्माण के लिए रु0 2,78,16,000 / – (रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के आकस्मिकी में पूर्व से केवल 100 बेड का प्रावधान था, परंतु अत्यधिक मरीजों की संख्या को देखते हुए उक्त भवन के तीसरे तल पर 10 करोड़ रूपये की लागत से नया भवन निर्माण कर अतिरिक्त 100 बेड को क्रियाशील किया गया है, जिसमें 40 बेड का ICU भी है।

- IGIMS, पटना में नये विषयों में पी0जी0/सुपरस्पेशलिटी कोर्स में पढ़ाई प्रारंभ करने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। सुपरस्पेशलिटी कोर्स में कुल– 15 सीटों की स्वीकृति MCI से प्राप्त है–

क्र.सं.	विषय	सीटों की संख्या
1	DM (Cardiolgoy)	3
2	M.Ch (Neuro Surgery)	2
3	M.Ch (Urology)	2
4	M.Ch (Paediatric Surgery)	2
5	M.Ch (Surgical Gastroentrolgy)	3
6	DM (Nephrology)	3

- वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019–20 में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या में वृद्धि:– वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019–20 में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या में 440 सीटों की वृद्धि हुई है, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने हेतु 190 सीट भी शामिल है।

- निजी प्रक्षेत्र में दो नये चिकित्सा महाविद्यालयों को भारत सरकार से सत्र 2019–20 के लिए अनुमति प्राप्तः–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	एम०बी०बी०एस० सीटों की संख्या
1	लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, सहरसा	100
2	मधुबनी मेडिकल कॉलेज, मधुबनी	150

- निजी प्रक्षेत्र के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS कोर्स हेतु स्थापना / सीटों की अभिवृद्धि के लिए (सत्र 2020–21 के लिए) अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गतः–

क्र. सं.	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या	अभियुक्ति
1	राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, तुर्की, मुजफ्फरपुर	150	नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु
2	नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, अमहारा, बिहटा, पटना	100	
3	कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार	100 से 150	एम0बी0बी0एस0 सीट की वृद्धि हेतु

सरकारी छः पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए भारत सरकार को आवेदन समर्पितः– राज्य के छः पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों, यथा– PMCH, NMCH, SKMCH, ANMMCH तथा JLNMCH में 50–50 एम0बी0बी0एस0 सीटों एवं DMCH में 100 सीटों की वृद्धि हेतु भारत सरकार को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। इससे अगले शैक्षणिक सत्र 2020–21 में 350 एम0बी0बी0एस0 सीटों की अभिवृद्धि हो सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत अस्पतालों / स्वास्थ्य संस्थानों के आधारभूत संरचना निर्माण, दवाओं की उपलब्धता एवं विभिन्न चिकित्सीय

उपकरणों की उपलब्धता के साथ–साथ विभिन्न स्तरीय पैथोलॉजिकल / रेडियोलॉजिकल जाँच सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में गठित BMSICL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। BMSICL जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत "राज्य क्रय एजेंसी" के रूप में कार्यरत है, ने अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए राज्य द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है एवं गत वर्ष 2018–19 में दवा, उपकरणों की उपलब्धता एवं संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में निम्नवत उपलब्धियाँ हासिल की हैं:–

1. दवाओं की उपलब्धता

- दवाओं की उपलब्धता के मामले में वित्तीय वर्ष 2018–19 में एवं 2019–20 में अद्यतन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्त्तमान में 205 प्रकार की दवाओं का दर अनुबंध कर लिया गया है। विगत दो वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में दवाओं के दर अनुबंध की संख्या की तुलनात्मक विवरणी इस प्रकार है :–

31 मार्च, 2018 को दर अनुबंधित दवाओं की संख्या	31 मार्च, 2019 को दर अनुबंधित दवाओं की संख्या	10.07.2019 को दर अनुबंधित दवाओं की संख्या
95	183	205

- निगम प्रयासरत है कि आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) के अनुरूप सभी दवाओं का दर अनुबंध कर लिया जाए एवं इस हेतु शेष दवाओं की निविदाएं प्रक्रियाधीन है। इनमें से 24 प्रकार की दवाओं का दर अनुबंध अगले एक माह में हो जाने की संभावना है।

2. शल्य चिकित्सीय सामग्रियों की उपलब्धता

- शल्य चिकित्सीय सामग्रियों की उपलब्धता के मामले में भी वित्तीय वर्ष 2018–19 में एवं 2019–20 में अद्यतन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्त्तमान में 90 प्रकार के

शल्य चिकित्सीय सामग्रियों का दर अनुबंध कर लिया गया है। विगत दो वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में शल्य चिकित्सीय सामग्रियों के दर अनुबंध की संख्या की तुलनात्मक विवरणी इस प्रकार है :–

31 मार्च, 2018 को दर अनुबंधित शल्य चिकित्सीय सामग्रियों की संख्या	31 मार्च, 2019 को दर अनुबंधित शल्य चिकित्सीय सामग्रियों की संख्या	10.07.2019 को दर अनुबंधित शल्य चिकित्सीय सामग्रियों की संख्या
05	05	90

- EDL के अनुसार शेष 26 प्रकार की शल्य चिकित्सीय सामग्रियों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है जिनमें से 14 प्रकार की सामग्रियों का दर अनुबंध अगले एक माह में हो जाना संभावित है।

3. उपकरणों की उपलब्धता

- उपकरणों की उपलब्धता के मामले में भी वित्तीय वर्ष 2018–19 में एवं 2019–20 में अद्यतन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्त्तमान में 61 प्रकार के उपकरणों का दर अनुबंध कर लिया गया है। विगत दो वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में उपकरणों के दर अनुबंध की संख्या की तुलनात्मक विवरणी इस प्रकार है :–

31 मार्च, 2018 को दर अनुबंधित उपकरणों की संख्या	31 मार्च, 2019 को दर अनुबंधित उपकरणों की संख्या	10.07.2019 को दर अनुबंधित उपकरणों की संख्या
07	45	61

- 141 प्रकार के उपकरणों की निविदाएं विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है, जिनके शीघ्र निष्पादन हेतु निगम प्रयासरत है।

- दवाओं की तरह ही चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपयोग में आने वाले आवश्यक उपकरणों को चिन्हित करते हुए "आवश्यक उपकरणों की सूची (EEL)" भी तैयार कराई जा रही है।

- उक्त के अतिरिक्त राज्य के सभी आठ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में CT Scan की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही गया, पावापुरी, बेतिया को छोड़कर अन्य 5 संस्थानों में MRI की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। गया एवं पावापुरी में PPP Mode पर MRI का अधिष्ठापन निविदा की प्रक्रिया के अंतर्गत है। बेतिया में स्थल की उपलब्धता होते ही MRI की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

- वर्त्तमान में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त 22 जिलों में भी CT Scan मशीन के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

- भारत सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुरूप JE/AES से राज्य के 15 अतिप्रभावित जिलों में दस बेड क्षमता के PICU की स्थापना के क्रम में 7 जिलों (PMCH पटना, SKMCH मुजफ्फरपुर, ANMMCH गया, DMCH लहेरियासराय, जिला अस्पताल पू० चम्पारण, नवादा एवं वैशाली) में PICU की स्थापना कराई जा चुकी है, जो वर्त्तमान में कार्यरत है। साथ ही गया में PICU का क्षमतावर्धन करते हुए इसे 10 बेड से 30 बेड का अधिष्ठापित किया जा चुका है।

पुनः अन्य आठ जिलों यथा प० चम्पारण, सारण, सिवान, समस्तीपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं नालंदा में इसके अधिष्ठापन हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रयादेश निर्गत है। अगले एक से दो माह में सभी PICU कार्यरत हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य के 22 जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन के अधिष्ठापन हेतु LOI निर्गत किया गया है, जिसका एकरारनामा प्रक्रियाधीन है। राज्य के 34 जिला अस्पतालों तथा 22 अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों में अल्ट्रासांउड मशीन का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

- मधेपुरा चिकित्सा महाविद्यालय एवं इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना में सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु Turnkey Basis पर निविदाएं प्रक्रियाधीन है।

- नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के परिसर में रोगों की उच्चस्तरीय जाँच सुविधा हेतु निर्मित Centre of Excellence (COE) में आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता हेतु PPP Mode पर निविदा प्रकाशित कराई जा रही है।

- निगम द्वारा 36 ALS Ambulance के क्रय हेतु क्रयादेश निर्गत है, जिसमें से 6 ALS Ambulance की आपूर्ति हो चुकी है, शेष 30 की आपूर्ति भी एक माह के अंदर हो जाना संभावित है।

4. आधारभूत संरचनाओं का निर्माण

स्वास्थ्य विभाग विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण के लिए कृतसंकल्पित है एवं इस हेतु स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवन निर्माण की स्वीकृति कुल **10,037 करोड़ (दस हजार सैंतीस करोड़) रूपये** की लागत पर विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदान की गई है, जिसका क्रियान्वयन BMSICL के माध्यम से कराया जा रहा है।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

- नालंदा जिला के प्रखंड–रहुई, ग्राम–पैठना में लगभग **404 करोड़ रू0** की लागत से **100 नामांकित छात्रों हेतु राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल** का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं वर्तमान में लगभग 10% कार्य पूर्ण हो चुका है, इस परियोजना को अगले 30 माह में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

- पूर्णियाँ में लगभग **365.58 करोड़ रू0** की लागत से **100 नामांकित छात्रों हेतु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं 300 बेड के अस्पताल** का निर्माण कार्य

की निविदा निष्पादित कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं वर्तमान में लगभग 5% कार्य पूर्ण हो चुका है, इस परियोजना को अगले 30 माह में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

- सारण जिला के छपरा में **425.41 करोड़ रू0** की लागत **से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं 500 बेड के अस्पताल का निर्माण** कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं वर्तमान में लगभग 8% कार्य पूर्ण हो चुका है, इस परियोजना को अगले 30 माह में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

- राज्य के छः जिलों में यथा **वैशाली, बेगुसराय, सीतामढी, मधुबनी, जमुई एवं बक्सर में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु कुल 3060 करोड़ रूपये** के लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है एवं इस हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं अगले तीन माह में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना संभावित है।

- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के आकस्मिकी भवन में **1.20 करोड़ रूपये** की लागत पर **12 बेड के ICU** के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शीघ्र ही मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित कर इसे क्रियाशील किया जायेगा।

- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में लगभग **12.66 करोड़ रूपये** की लागत से **किडनी प्रत्यारोपण इकाई** की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य जारी है एवं अगले 4 माह में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में लगभग **5.28 करोड़ रूपये** की लागत से **18 बेड के बर्न वार्ड** के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं इसे अगले दो माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

- नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में शिक्षारत Under Graduate छात्र एवं छात्राओं के आवासन हेतु **400 बेड के छात्रावास भवन निर्माण** की प्रशासनिक

स्वीकृति कुल **43.88 करोड़ रूपये** की लागत पर प्रदान की गई एवं इस हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

- नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में शिक्षारत Post Graduate छात्र एवं छात्राओं के आवासन हेतु **400 बेड के छात्रावास भवन निर्माण** की प्रशासनिक स्वीकृति कुल **58.75 करोड़ रूपये** की लागत पर प्रदान की गई एवं इस हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

- पश्चिम चंपारण जिला में **775.33 करोड़ रू0** की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें लगभग 30% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अगले दो वर्ष में शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- मधेपुरा जिला में **781.25 करोड़ रू0** की लागत से **जननायक कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण** कार्य 95% पूर्ण की जा चुकी है एवं अक्टूबर, 2019 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

- लगभग 42.11 करोड़ रूपये की लागत से एन0एम0सी0एच0, पटना में Centre of Excellence का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तगत कराया जा चुका है।

- लगभग 10.94 करोड़ रूपये की लागत से एन0एम0सी0एच0, पटना में राज्य स्तरीय Vaccine Centre का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए क्रियाशील किया गया है।

- लगभग 11.09 करोड़ रूपये की लागत से ए0एन0एम0सी0एच0, गया में 136 शैय्या वाले छात्राओं के छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए हस्तगत कराया जा चुका है।

- लगभग 12.94 करोड़ रूपये की लागत से ए0एन0एम0सी0एच0, गया में 50 बेड क्षमता वाले आकस्मिक इकाई भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर क्रियाशील किया गया है।

नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान

- लगभग 6.3 करोड़ रू0 प्रति ईकाई की लागत से सात निश्चय कार्यक्रम के तहत 27 ANM प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 16 स्थलों यथा–मनिहारी, फारबिसगंज, जयनगर, नीमचकबथानी, जगदीशपुर, झंझारपुर, नरकटियागंज, सिकरहना, तारापुर, पटोरी, दलसिंहसराय, बनमनखी, वीरपुर, बेनीपुर, चकिया एवं सोनपुर पूर्ण की जा चुकी है।

- लगभग 13.35 करोड़ रू0 प्रति ईकाई की लागत से सात निश्चय कार्यक्रम के तहत 18 GNM प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- लगभग 9.98 करोड़ रू0 प्रति ईकाई की लागत से सात निश्चय कार्यक्रम के तहत 23 Para Medical प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं चार स्थलों बक्सर, बांका, गोपालगंज एवं रोहतास का निर्माण कार्य पूर्ण है।

- लगभग 26.49 करोड़ रू0 प्रति ईकाई की लागत से B.Sc. Nursing Training Institute-cum-Hostel यथा DMCH, दरभंगा, SKMCH मुजफ्फरपुर तथा ANMMCH, गया में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है एवं एन0एम0सी0एच0, पटना, JLNMCH, भागलपुर, VIMS, पावापुरी में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- लगभग 13 करोड़ प्रति इकाई की लागत से 40–60 क्षमता वाले 8 जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान (यथा सासाराम, बांका, जहानाबाद, सहरसा, बेतिया, बक्सर, मधेपुरा एवं शेखपुरा) का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है तथा छपरा एवं पूर्णियां में निर्माणाधीन है।

मातृ शिशु अस्पताल

- राज्य के कुल सात अस्पतालों यथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल के

भवन निर्माण की स्वीकृति लगभग 93.49 करोड़ रूपये की लागत पर प्रदान की गई है, जिनमें से छः स्थलों पर निर्माण कार्य जारी है। मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में भवन निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है।

इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना

- इस संस्थान का भवन निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है एवं नवनिर्मित भवन को उपकरणों इत्यादि से सुसज्जित कर अस्पताल के रूप में क्रियाशील करने हेतु लगभग 75 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति मंत्री परिषद् के द्वारा प्रदान की गई है। उपकरणों के क्रय हेतु Turnkey Basis पर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं अगले छः माह में इसे क्रियाशील करने का लक्ष्य है।

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में क्षमता विस्तार का निर्णय लिया गया है एवं इस हेतु 500 बेड के नये अस्पताल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है, जबकि 1200 बेड के एक नये अतिरिक्त अस्पताल भवन का परियोजना प्रस्ताव 513 करोड़ रूपये की लागत पर तैयार कराया गया है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित की जायेगी।

स्वास्थ्य केन्द्र

- लगभग चार करोड़ की प्रति इकाई की लागत से तीस शैय्या वाले 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं 17 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- लगभग 1.27 करोड़ प्रति इकाई की लागत से 6 शैय्या वाले 22 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य की निविदा निष्पादित की जा चुकी है एवं 12 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय उपलब्धियाँ

- गत वित्तीय वर्ष 2018–19 निगम का शुद्ध लाभ 934.79 लाख रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना में 314 प्रतिशत अधिक है।
- निगम के द्वारा वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रूपये का अनुदान भी दिया गया है एवं ऊपर अंकित लाभ इस अनुदान के पश्चात है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में दवाओं, उपकरणों के क्रय एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में निगम द्वारा किये गए व्यय में 2017–18 अथवा अन्य पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में निगम द्वारा विभिन्न मदों में किये गए व्यय का ब्योरा निम्नवत है :–

(लाख रू० में)

FINANCIAL YEAR	INFRASTRUCTURE	DRUG	EQUIPMENT	TOTAL
2014-15	13870.99	6835.03	1687.41	22393.43
2015-16	25074.21	112.52	66.93	25253.66
2016-17	36367.78	3085.33	475.00	39928.11
2017-18	40652.16	6381.9	789.25	47823.31
2018-19	59926.43	14117.56	4859.78	78903.77

- चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के तीन माह में अद्यतन हुआ व्यय निम्न प्रकार है :–

(लाख रू० में)

FINANCIAL YEAR	INFRASTRUCTURE	DRUG	EQUIPMENT	TOTAL
2019-20 (June)	22759.18	4062.53	3447.89	30269.60

प्रबंधन एवं क्षमतावर्द्धन

- विगत वर्षों की तुलना में BMSICL द्वारा किये जा रहे कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है एवं तद्नुसार वर्ष 2018–19 में उपलब्धियाँ भी उल्लेखनीय हैं। भविष्य में निगम से अपेक्षित कार्यों में लगातार तेजी से वृद्धि होना भी संभावित है। ऐसे में निगम में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कार्य के अनुरूप काफी कम है। इसे देखते हुए गत वर्ष 2018–19 में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है। साथ ही Outsourcing के माध्यम से भी कर्मियों को कार्य पर लिया गया है ताकि कार्यों का निष्पादन सुगम तरीके से हो सके।

- स्वीकृत पदों के अनुसार विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों/कर्मियों की संख्या 136 है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2018–19 के पूर्व कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी मात्र 57 थे। वर्ष 2018–19 में महाप्रबधंक एवं उपमहाप्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर 5 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई एवं इसी प्रकार कुल 15 प्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं कार्यपालक (लेखा) की सेवाएं Outsourcing के आधार पर ली गई है। इस तरह वर्ष 2018–19 में निगम में कार्यों के निष्पादन हेतु क्षमतावर्द्धन भी किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष''** से वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या–17471 में से कुल **स्वीकृत रोगियों की संख्या–15066 थी, जिसमें कुल स्वीकृत राशि– रुपये 1,41,29,22,500/–(एक अरब एकतालिस करोड़ उनतीस लाख बाइस हजार पाँच सौ रुपये मात्र)** राज्य के गरीब एवं गंभीर बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा अनुदान के रूप में दिया गया है, इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या–13078 में से कुल स्वीकृत रोगियों की संख्या–11223 थी, जिसमें कुल स्वीकृत राशि रुपये 91,84,54,300/–(एकानवें करोड़ चौरासी लाख चौवन हजार तीन सौ रुपये) उपलब्ध करायी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में **औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों (Licensing)** के आवेदन एवं निर्गत की Online प्रक्रिया दिनांक–15.05.2018 से प्रारंभ की गयी है, जिसके लिए औषधि नियंत्रण प्रशासक के द्वारा Online Inspection Report तैयार करने एवं

Online Licensing तथा Online Supervision किया जा रहा है, इसके लिए औषधि नियंत्रण के 146 पदाधिकारियों को दिनांक–08.04.2019 को लैपटॉप प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में जन स्वास्थ्य सेवाओं को ससमय उपलब्ध कराने एवं स्वास्थ्य सुविधा के सुदृढ़ीकरण व गुणवत्तायुक्त बनाने हेतु राज्य के सभी ए०एन०एम० को "टैबलेट" एवं "बायोमेट्रिक डिवाइस" उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि ए०एन०एम० द्वारा टैबलेट का उपयोग कर ऑनलाईन ऑकड़ों को प्रतिवेदित किया जा सके तथा मातृ मृत्यु–अनुपात एवं शिशु मृत्यु–दर को यथासंभव कम किया जा सके।

यह प्रयोग जहाँ 17855 ए०एन०एम० को डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ाव का अवसर उपलब्ध करवायेगा, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की ओर यह एक और कदम होगा। प्रथम चरण में राज्य के कुल 13 आकांक्षी जिलों के 50% ए0एन0एम को 3799 टैबलेट वितरित किया गया है। द्वितीय चरण में राज्य के शेष सभी ए0एन0एम0 के पास यह सुविधा उपलब्ध होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत् जनमानस के हित में उपलब्ध भिन्न–भिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाओं को जन–जन तक अर्थात् समाज के अंतिम पायदान तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके निमित्त आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से संबंधित दवाओं को 'आवश्यक औषधि सूची' में सम्मिलित करते हुए दवाओं एवं आवश्यक उपकरणों इत्यादि की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना करने, स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत व्यवस्था के साथ समुचित प्रबंधन करने, मरीजों के लिए निःशुल्क रेफरल ट्रांसपोर्ट की सेवाएँ, किसी प्रकार की शिकायत व जानकारी व परामर्श हेतु 104 कॉल सेंटर इत्यादि की व्यवस्था की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत नवनियोजित स्त्री रोग विशेषज्ञ के 87 में से 48, शिशु रोग विशेषज्ञ के 81 में से 47, मूर्च्छक के 57 में से 11, एम0डी0 मेडिसिन के 29 में से 7, ई0एन0टी0 के 30 में से 07,

नेत्र रोग विशेषज्ञ के 20 में से 8, चर्म रोग विशेषज्ञ के 13 में से 4, मनोचिकित्सक के 11 में से 4 के द्वारा योगदान दिया गया है। इस तरह 8 प्रकार के कुल 328 विशेषज्ञ चिकित्सकों में से मात्र 136 ने योगदान दिया है। साथ ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 206 चिकित्सा पदाधिकारी का नियोजन किया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत नवनियोजित मेडिकल ऑफिसर (फुल टाईम) के 56 में से 17 तथा मेडिकल ऑफिसर (पार्ट टाईम) के 63 में से 15 ने योगदान दिया है। उक्त सभी पदों पर योगदान नहीं किये जाने के उपरांत उपलब्ध रिक्तियों की प्रतीक्षा सूची से भरें जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार के 14 पदों पर एवं जिला स्तरीय विभिन्न प्रकार के 884 पदों पर नियोजन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के संयुक्त तत्वावधान में जून 2015 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वास्थ्य समागम कार्यक्रम में इसकी शुरूआत की गई। अधिकारिक रूप से प्रथम सत्र में बिहार राज्य से कुल 21812 शिक्षार्थियों का नामांकन लिया गया। राज्य के विभिन्न प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं रेफरल अस्पतालों को प्रशिक्षण के लिए चयनित कर इसकी रूपरेखा तैयार की गई एवं इसकी शुरूआत अगस्त 2018 में की गई। द्वितीय सत्र में कुल 29529 शिक्षार्थियों ने नामांकन लिया। प्रथम सत्र के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरांत सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में कुल 16000 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्तीर्ण हुए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कुल 38 जिलों से कुल 218 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं रेफरल अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया। शीघ्र ही द्वितीय सत्र के प्रशिक्षण एवं तृतीय सत्र के नामांकन की घोषणा की जाएगी।

इस महत्वपूर्ण कार्यकम के द्वारा राज्य के अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान के साथ नई पहचान भी मिली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि HRMIS मानव संपदा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नियमित तथा संविदागत कार्यरत कर्मियों

का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। क्रियान्वयन के उपरांत सभी कर्मियों का अवकाश, मानदेय, पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति इत्यादि इसी प्रणाली के तहत् किया जायेगा। प्रथम चरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला से उपकेन्द्र स्तर पर कार्यरत लगभग 90 प्रतिशत कर्मियों के ऑकड़ों की प्रविष्टि की जा चुकी है। द्वितीय चरण में विभाग के अंतर्गत कार्यरत एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में राज्य स्तर पर कार्यरत कर्मियों के आँकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि भविष्य में जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए दो अतिरिक्त Common Bio-Medical Waste Management Treatment Facility (CBMWTF) भोजपुर एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए BMSICL, पटना द्वारा Expression of Interest प्रकाशित करने की कार्रवाई की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पूर्व में जहॉ बाह्य कक्ष में मात्र 33 प्रकार की दवाएँ और अंतःकक्ष में मात्र 112 प्रकार की दवाएँ निःशुल्क मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही थी, वहीं नयी अधिसूचित 'आवश्यक दवाओं की संशोधित सूची 2018' में कुल 310 प्रकार की औषधियॉ एवं 42 प्रकार के डिवाईसेज/कन्ज्यूमेबल को शामिल किया गया, जिनमें से 205 प्रकार की औषधियॉ एवं 35 प्रकार के डिवाईसेज/कन्ज्यूमेबल आमजन को इलाज के दौरान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सूची में कैंसर, मधुमेह इत्यादि गैर संचारी रोगों की दवाएँ भी शामिल है। इतना ही नहीं वर्तमान में विभिन्न प्रकार के रोगों की बढ़ती संभावना को देखते हुए आवश्यक दवाओं की सूची को पुनः संशोधित करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि आमजन को समुचित स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हो सके।

राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों को आवश्यक औषधियों एवं Diagnostic निःशुल्क उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिला अस्पताल से प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के वाह्य रोगी कक्ष तथा अन्तर्वासी

रोगी कक्ष के रोगियों के उपचार हेतु आवश्यक औषधियाँ Essential Drug List (EDL) अधिसूचित की गयी है। इसी क्रम में EDL की भांति राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के लिये Essential Equipment List (EEL) विकसित किया जा रहा है और इसे विभाग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। अन्य राज्यों में Essential Equipment List (EEL) की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार ने बिहार राज्य के लिये इसे मानक बनाने का निर्णय लिया है।

औषधि एवं उपकरणों के क्रय तथा भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता की वजह से स्वास्थ्य संस्थानों में औषधि तथा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब का सामना करना पड़ रहा था। इस जटिलता को समाप्त करने हेतु विभाग ने राशि आवंटन पर नई नीति जारी की है। नई नीति के अनुसार बजट राशि का 80 प्रतिशत राशि अब सीधे BMSICL को दिया जाएगा तथा जिलों को आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 20 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य के 10 जिला अस्पतालों यथा–अररिया, औरंगाबाद, बाँका, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, वैशाली एवं रोहतास को मॉडल अस्पताल के रूप में उत्क्रमित करने हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उसके विरूद्ध रूपये 5 करोड़ की टोकन राशि को भी निर्गत किया गया है। तीन जिला अस्पतालों यथा–औरंगाबाद, बाँका एवं वैशाली का DPR तैयार कर लिया गया है तथा इसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। BMSICL द्वारा शेष जिलों का DPR, तैयार किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य में 10 नये रक्त अधिकोष सदर अस्पताल अररिया, अरवल, बाँका, शिवहर, सुपौल, मोतीहारी, पटना सिटी, भागलपुर एवं गया में स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में 04 नये Blood Component Separation Unit (BCSU) गया, मुंगेर, बेतिया एवं पूर्णिया में स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में 57 Blood Storage Unit (BSU) कार्यरत है तथा 20 नये Blood Storage Unit (BSU) स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में दो Comprehensive Day Care Centre for Blood Disorder (Thalassemia Haemophillia etc.) PMCH, Patna एवं SKMCH,

Muzaffarpur में स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में डेंगू एवं अन्य बीमारियों से निपटने के लिए Apheresis मशीन PMCH, Patna एवं JLNMCH, Bhagalpur में स्थापित की जा रही है।

सभी रक्त अधिकोषों को Digitalization करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मॉडल ब्लड बैंक (जयप्रभा अस्पताल) पटना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। राज्य भर में 1089 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया एवं 2,07,237 रक्त ईकाई का संग्रहण किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में सामान्य स्त्री पुरूष एवं अन्य की एच0आई0वी0 जाँच के लक्ष्य 6 लाख के विरूद्ध 6.94 लाख (115%) एवं गर्भवती महिलाओं के एच0आई0वी0 जाँच के लक्ष्य 32.48 लाख के विरूद्ध 19.6 लाख (60%) का जाँच किया गया। संक्रमित पाये गये स्त्री पुरूष एवं अन्य तथा गर्भवती महिलाओं को जीवनपर्यंत निःशुल्क दवा प्राप्त किये जाने हेतु ए0आर0टी0 सेवा से जोड़ा गया। ए0आर0टी0 सेवा प्रदान करने हेतु राज्य में 17 ए0आर0टी0 केन्द्र के अतिरिक्त 3 नये ए0आर0टी0 केन्द्रों पर सेवा प्रदान की जा रही है। Human Immunodeficiency Virus And Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Act, 2017 (16 of 2017) का राज्य में क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपनायी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मातृ मृत्यु अनुपात को और कम करने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व चार जाँच, प्रसूति महिलाओं का आवश्यकतानुसार सिजेरियन सेक्शन, ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज इकाई की स्थापना की जा रही है। संस्थागत प्रसव में भी प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में 70 चिन्हित एफ.आर.यू. में सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। **फलतः बिहार का मातृ मृत्यु अनुपात जो कि SRS (Sample Registration System) 2011–13 के अनुसार 208 था, वर्तमान में घटकर 165 (SRS 2014–16) हो गया है।**

राज्य में कुल 426 संस्थानों पर लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत लेबर रूम का सुदृढ़ीकरण कराया जाना है। जिसमें से 3 संस्थानों (DH- पूर्णियाँ, मोतिहारी एवं बेगूसराय) को राज्य

स्तर से Assessment कर लक्ष्य Certification हेतु चिन्हित किया गया। तत्पश्चात, भारत सरकार के स्तर से Assessment कार्य पूर्ण कर लिया गया है और पूर्णियाँ के प्रसव कक्ष, बेगूसराय के दोनो प्रसव कक्ष तथा शल्य कक्ष का Laqshya Certificate प्राप्त हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बिहार का शिशु मृत्यु दर को कम करने के प्रयास के तहत् वर्तमान में राज्य में 42 विशेष नवजात देखभाल इकाई (SNCU) एवं 40 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (NBSU) कार्यरत है। विशेष नवजात देखभाल इकाई (SNCU) को अनुमंडल स्तर तक ले जाने का प्रयास है जिसके तहत 19 अनुमंडलीय अस्पतालों का चयन किया गया है। **इसी का परिणाम है कि SRS 2016 के अनुसार प्रतिवेदित शिशु मृत्यु दर जो 38 था, से घटकर SRS 2017 के अनुसार वर्तमान में 35 हो गया है। बालिका शिशु मुत्यु दर जो कि SRS 2016 के अनुसार 46 था, से घटकर SRS 2017 के अनुसार 37 हो गया है। साथ ही पॉच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर जो SRS 2016 के अनुसार 43 था, से घटकर SRS 2017 के अनुसार 41 हो गया है।**

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम अन्तर्गत 1—19 वर्ष के सभी बच्चों को गत वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में अगस्त 2018 में चयनित 17 जिलों में लगभग 1.75 करोड़ बच्चों को तथा द्वितीय चरण फरवरी, 2019 में राज्य के 25 जिलों में 3.59 करोड़ बच्चों को Albendazole दवा खिलायी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019—20 के अगस्त माह में लगभग 1.77 करोड़ बच्चों को दवा खिलाये जाने का लक्ष्य है।

दस्त से बचाव एवं इसके संदर्भ में आमजन को जागरूक करने हेतु राज्य के सभी जिलों में दिनांक 24 जून से 05 जुलाई, 2019 तक 'सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा' का आयोजन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि Universal Immunization Programme (यू0आई0पी0) के अन्तर्गत नये टीकों को शामिल किया जाता रहा है। इसी क्रम में राज्य के सभी 9 माह से 15 वर्ष आयु तक के बच्चों को खसरा—रूबैला रोग से बचाव हेतु दिनांक 15 जनवरी 2019 से खसरा—रूबैला टीकाकरण अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत लगभग 4 करोड़ (3.84 करोड़) बच्चों का

टीकाकरण किया गया। इस अभियान के पश्चात् बच्चों को खसरा – रूबैला से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण के अतंर्गत बच्चों को 9 माह की आयु पर 1 टीका एवं दूसरा टीका 16 से 24 माह की आयु पर दिया जा रहा है। इस टीका से खसरा एवं रूबैला रोग से बचाव संभव होगा। इसी क्रम में रोटा वायरस दस्त से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण तालिका में एक और **नये वैक्सिन 'रोटा वायरस वैक्सिन' की शुरूआत दिनांक 03 जुलाई, 2019 से की गई है।**

राज्य में कुल 09 मॉडल टीकाकरण केन्द्र संचालित है। जिला मुख्यालय पटना–03, पूर्णिया, सिवान एवं नालंदा में एक–एक तथा पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण के एक–एक प्रखण्डों में भी मॉडल टीकाकरण केन्द्र कार्यरत है। इसके साथ ही 10 जिलों यथाः गया, मुजफ्फरपुर, सारण, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण में मॉडल टीकाकरण केन्द्र प्रस्तावित है।

इतना ही नहीं बालिकाओं को सबल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत 2 वर्ष तक की कन्या शिशु को सम्पूर्ण टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिए प्रति लाभार्थी माता–पिता/अभिभावक को रु० दो हजार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत कन्या का सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म होने पर प्रति कन्या लाभार्थी के माता को 2000/– की राशि भी दी जा रही है, जबकि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने पर पूर्व से ही ग्रामीण क्षेत्रों में 1400/– रूपये एवं शहरी क्षेत्रों में 1000/– प्रसव के उपरांत प्रसूति को वर्ष 2006 से ही दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कुल प्रजनन दर को कम करने के उद्देश्य से नवदम्पतियों को प्रारंभ से ही परिवार नियोजन की जानकारी एवं सुविधा देने के उद्देश्य से 'नई पहल किट' दी जा रही है, जिसमें गर्भनिरोधक सामग्री एवं उसके उपयोग/जानकारी संबंधित आई.ई.सी. सामग्री उपलब्ध है। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों पर परिवार नियोजन के विविध साधनों यथा छाया, अंतरा सुई, कॉपर–टी का संस्थापन इत्यादि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

प्रजनन दर में गिरावट लाने एवं इसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने अर्थात् कम करने की दिशा में परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अंतर्गत दिनांक 09 अक्टूबर 2017 को गर्भ निरोधक इंजेक्शन (MPA) एवं Centchroman (छाया)–साप्ताहिक गोली को परिवार नियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत "Basket of Choices" में शामिल किया गया एवं इसे स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक कार्यान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है।

उक्त प्रयासों का प्रतिफल है कि कुल प्रजनन दर जो SRS 2016 के ऑकड़ों के अनुसार 3.3 था, से घटकर SRS 2017 के अनुसार 3.2 हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि **वर्ष–2018–19 में 534 लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य से ज्यादा अर्थात् 598 स्वास्थ्य संस्थानों (यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों) को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। वर्ष 2019–20 में कुल 1671 और स्वास्थ्य संस्थानों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) अंतर्गत किशोर–किशोरियों में आयरन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (WIFS) का शुभारंभ जनवरी, 2019 से किया गया है, इसमें शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की भी सहभागिता सुनिश्चित की गयी है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए किशोर–किशोरियों में आयरन की कमी को दूर करने हेतु सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 10–19 वर्ष तक के किशोर–किशोरियों को तथा ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर 10–19 वर्ष तक के किशोरियों को साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली का अनुपूरण कराया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पूर्व में 102 एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत कुल 07 (सात) कोटि के लोगों को एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही थी, जिसमें एक कोटि BPL परिवारों की थी। अब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा तैयार PHH (Priority Household) की सूची के पूर्विकता प्राप्त परिवार के सदस्यों को 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार राज्य

की लगभग 80 प्रतिशत से अधिक आबादी को निःशुल्क 102 एम्बुलेंस सेवा से आच्छादित कर दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अप्रैल 18 से मार्च 2019 तक कुल 1291382 (बारह लाख इक्यानवे हजार तीन सौ बेरासी) मरीजों को 102 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें से 1240212 (बारह लाख चालीस हजार दो सौ बारह) मरीज निःशुल्क कोटि के थे। **इस प्रकार 102 एम्बुलेंस सेवा उपयोग करने वाले मरीजों में से 96% मरीजों को निःशुल्क 102 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करायी गयी है।**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक सेमी ऑटो एनालाईजर मशीन से रक्त के विभिन्न प्रकार के जाँच की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही Three Part Blood Cell Counter से जाँच की सुविधा वर्तमान में जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पतालों, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है।

स्वास्थ्य संबंधी तत्काल (Emergency) सेवा, आकस्मिक एवं अतिमहत्वपूर्ण शिकायतों के निवारण एवं चिकित्सीय परामर्श हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय में 104 कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। यह सुविधा Toll Free Number 104 पर उपलब्ध है। इसके तहत् अब तक कुल 82473 कॉल प्राप्त हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि शहरी क्षेत्रों विशेषकर स्लम बस्तियों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) का संचालन राज्य के 22 जिलों के 25 शहरों में किया जा रहा है। वर्तमान में 96 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थाापित किया गया है, जिसमें OPD, ANC, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। आठ ऐसे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसे कायाकल्प कार्यक्रम अतर्गत बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 4 और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' एवं 'नियमित टीकाकरण कार्यक्रम' की संयुक्त पहल पटना के सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दिनांक 16.07.18 से प्रारंभ

किया गया, जिसके तहत् 156 स्लम बस्तियों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित बस्तियों में शिविर का आयोजन कर स्लम बस्ती के बच्चों को प्रतिरक्षित करने एवं उनका स्वास्थ्य जाँच कर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत् स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।

इतना ही नहीं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रायोगिक तौर पर तीन जिलों के पाँच शहरी प्राथमिक केन्द्रों (UPHC) यथा जयप्रभा, गुलजारबाग, शास्त्रीनगर (पटना), ईकबालनगर (गया) एवं माधोपारा (पूर्णिया) में Model Immunization Corner (MIC) की स्थापना एवं संचालन किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 में शेष 95 UPHC में MIC की स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि Clubfoot के बच्चों के निःशुल्क इलाज हेतु Cure International India के साथ माह अप्रैल, 2018 में MoU कर राज्य के 06 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं 01 सदर अस्पताल, हाजीपुर में क्लिनिक स्थापित कर Clubfoot से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है।

दिनांक 24 नवम्बर 2018 को राज्य के 3 चिकित्सा संस्थानों यथा– AIIMS-Patna, IGIC-Patna एवं IGIMS-Patna तथा छः मेडिकल कॉलेज अस्पतालों (PMCH-Patna सहित) के साथ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत् 22 बीमारियों में शल्य चिकित्सा हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं इन चिकित्सा संस्थाओं के बीच एकरारनामा किया गया है, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि IGIMS में Mobile Ophthalmic Unit एवं Tele Ophthalmic Unit की सुविधा शुरू होने जा रही है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि निःक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टी.बी. (यक्ष्मा) रोगियों को उपचार की पूरी अवधि तक प्रत्येक रोगी को प्रतिमाह 500/– की दर से भोजन हेतु पोषण सहायता राशि अप्रैल, 2018 से दी जा रही है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2016 में जहाँ राज्य के 67 प्रखंड कालाजार उन्मूलन (एक या एक से अधिक रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या) के लक्ष्य से पीछे थे, वही वर्ष 2018 में यह संख्या घट कर 30 हो गई है। इस प्रकार कालाजार प्रभावित प्रखंडों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि बिहार राज्य में सभी स्वास्थ्य संस्थानों का GIS Co-ordinate Mobile App के माध्यम से Capture किया गया है एवं इन Co-ordinate का इस्तेमाल विभिन्न Web-App एवं Mobile App में किया जा रहा है, जिससे किसी भी वक्त कहीं से भी अपने निकटतम स्वास्थ्य संस्थान तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Darpan एवं Darpan Plus App के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में ऑकड़ों का वास्तविक समय की प्रविष्टि की जा सकती है। इस App के माध्यम से GIS Co-ordinate के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि इस App का इस्तेमाल स्वास्थ्य संस्थान में जाकर ही किया जा सकता है। स्वास्थ्य संस्थानों का Supportive Supervision Report के आधार पर उनकी समीक्षा कर वहॉ की व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत उक्त क्रियान्वित गतिविधियों के फलस्वरूप व्यय की गति में सुधार हुआ है। जहाँ वर्ष 2016–2017 में 1305 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था, वहीं वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1863.00 करोड़ रूपये का व्यय प्रतिवेदित है।**

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा ए0एन0एम0 के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु 6480 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिनका जिलों में नियुक्ति हेतु आवंटन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसी तरह बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को नियमित 9130 स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए', 169 ट्यूटर तथा 43 प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना 2019 में भेजी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य संरक्षा संवर्ग अन्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारी के कुल 91 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में एक्स–रे–टेक्नीशियन के 171 (एक सौ ईकहत्तर) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की गयी है। इसी तरह, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के द्वारा ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के 10 (दस) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही, राज्य के चिकित्सीय संस्थानों में कार्यरत् 253 (दो सौ तिरपन) फार्मासिस्टों को मूल कोटि से प्रोन्नति के प्रथम सोपान "वरीय फार्मासिस्ट" के पद पर प्रोन्नति दी गयी है एवं फार्मासिस्ट के 966 (नौ सौ छियासठ) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय, नेत्र सहायकों के कुल स्वीकृत पद 398, कार्यरत 162 के विरूद्ध 236 रिक्त पदों की अधियाचना एवं अचिकित्सा सहायक के कुल स्वीकृत पद 1447, कार्यरत 147 के विरूद्ध 1300 रिक्त पदों की तथा फिजियोथेरापिस्ट के कुल स्वीकृत पद 150, कार्यरत 24 के विरूद्ध 126 रिक्त पदों हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। साथ ही, अकुपेशनलथेरापिस्ट के कुल स्वीकृत पद 87, कार्यरत 01 के विरूद्ध 86 रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है।

यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक के कुल स्वीकृत 173, कार्यरत 22 के विरूद्ध 151 रिक्त पदों एवं कीट संग्रहकर्त्ता के कुल स्वीकृत 71, कार्यरत 18 के विरूद्ध 53 रिक्त पदों तथा फाईलेरिया निरीक्षक के कुल स्वीकृत 100, कार्यरत 31 के विरूद्ध 69 रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। साथ ही, मलेरिया निरीक्षक के कुल स्वीकृत 151, कार्यरत 77 के विरूद्ध 74 रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को आयुष क्षेत्र में हुई प्रगति से अवगत कराना चाहूँगा, बिहार राज्य के राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद

महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बेगूसराय में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक सम्वर्ग के 47 पदों का सृजन किया गया है एवं राज्य में बंद पड़े शेष तीन आयुर्वेदिक कॉलेजों को चालू कराने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदण्ड के अनुसार राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर, भागलपुर एवं दरभंगा में शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग के कुल–156 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति को प्रेषित किया गया है। साथ ही, राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में पी०जी० कोर्स की पढ़ाई हेतु शैक्षणिक सम्वर्ग के 12 पदों का सृजन किया गया है। इसी तरह, स्वीकृत बल के विरूद्ध राज्य के राजकीय आयुष के कॉलेजों में संविदा पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि विस्तार की गयी है एवं राज्य के आयुष प्रक्षेत्र के कालेजों यथा आयुर्वेद–44, होमियोपैथ–06 एवं यूनानी–05 व्याख्याताओं की नियमित नियुक्ति की गयी है। आयुष प्रक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय संस्थानों में सृजित वर्ग–3 के पदों पर नियुक्ति हेतु भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त नियमावली का गठन किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में पी० जी० कोर्स की पढ़ाई हेतु 12 पदों यथा व्याख्याता, प्रवाचक एवं प्राध्यापक के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अधियाचना भेजा गया है। इसी तरह, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी तथा आयुष फिजिशियन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से रोस्टर क्लीयरेंस करा लिया गया है। साथ ही, आयुष प्रक्षेत्र के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को राज्य स्तरीय सम्वर्ग से जिला स्तरीय सम्वर्ग घोषित कर जिला आवंटित कर दिया गया है।

संविदा पर नियोजित आयुष चिकित्सकों (एन०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) का मानदेय बढ़ाकर एलोपैथ चिकित्सकों के समान 44000/– रूपया प्रतिमाह किया गया है। आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक प्रक्षेत्र के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्कों को चतुर्थ डी०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक करा ली गयी है जिसकी अधिसूचना शीघ्र ही निर्गत कर दिया जाएगा।

आयुष प्रक्षेत्र के विकास एवं संवर्द्धन हेतु गैर योजना एवं योजना मदों में राशि का उपबंध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में गैर योजना अन्तर्गत कुल–13 शीर्ष सृजित है जिसमें 1,45,85,18,000/- (एक अरब पैतालीस करोड़ पचासी लाख अठारह हजार) रूपये का उपबंध किया गया है। आयुष निदेशालय स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य आयुष समिति गठित है जिसके अन्तर्गत योजना मदों में केन्द्रांश एवं राज्यांश का कुल राशि–27,00,00,000/- (सताईस करोड़ रूपये) का उपबंध वित्तीय वर्ष 2019-20 में करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये केन्द्रीय पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कुल 3444.815 लाख रूपये की कुल योजना स्वीकृत की गयी है। इसके अन्तर्गत पटना सिटी, नवाब मंजिल में एक 50–शय्यायुक्त उत्क्रमित आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु कुल 900 लाख रूपये की परियोजना स्वीकृत की गयी है एवं इसके कार्यान्वयन हेतु BMSICL द्वारा भवन निर्माण का 835 लाख का DPR को स्वीकृत करते हुये कार्य प्रारम्भ करने के लिये प्रथम किस्त में 102.695 लाख की राशि स्थानान्तरित कर दी गयी है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य में 26 जिला संयुक्त अस्पताल एवं पटना स्थित दस–शय्यायुक्त होमियोपैथिक अस्पताल तथा जिलों में स्थित दस आयुष औषधालय के भवन, मशीन एवं उपकरण हेतु राशि उपलब्ध है, को BMSICL को स्थानान्तरित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल 7496.5 लाख रूपये की योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है, जिसमें मुख्यतः आयुष सेवाओं (आयुष औषधि आपूर्ति, आयुष चिकित्सा संस्थान) का सुदृढ़ीकरण करने तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुष हेल्थ वेलनेस सेन्टर को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान को सुदृढ़ करने के क्रम में बहुत दिनों से बन्द राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, बेगूसराय को CCIM, New Delhi के मापदण्ड के अनुसार व्यवस्थित करते हुये मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु आधारभूत संरचना एवं कार्यान्वयन की व्यवस्था की जा रही है।

राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में स्नातक के लिये वर्तमान में उपलब्ध 60 सीटों को बढ़ाकर 100 सीट करने तथा स्नातकोत्तर में वर्तमान में दो विषयों के अतिरिक्त को पाँच विषयों में शिक्षा शुरू करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त एवं अन्य प्रयासों के साथ आमजनों के लिए स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, फलतः सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रति आमजन का रूझान बढ़ा है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि चालू वित्तीय वर्ष में जनता के मध्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए गैर योजना मद में 4484.25 करोड़ एवं योजना मद में 5149.45 करोड़ कुल 9633. 70 करोड़ रूपये का बजट सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइये, हम सब मिलकर स्वस्थ एवं सुखी बिहार का सपना तथा जनता से किये गये वायदों को साकार करें।

"स्वस्थ बिहार–समृद्ध बिहार"

(मंगल पाण्डेय)
मंत्री, स्वास्थ्य,
बिहार सरकार।